सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
२७ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, २७ फरवरी १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गए—भाग १ प्रकाशित नहीं किया गया ।)

स्थगन प्रस्ताव

गया मुगलसराय पैसेंजर के साथ दुर्घटना

उपाध्यक्ष महोदय : संख्या ७३ गया-मुग़लसराय पैसेंजर के साथ २६ फरवरी १९५३ की दुर्घटना तथा एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में आग लग जाने के कारण ४ व्यक्तियों की मृत्यु तथा १३ आहत होने वालों के सम्बन्ध में मुझे एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस के सम्बन्ध में हमें टेलीफून पर कुछ संदेश मिला था परन्तु पूरा विवरण अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है । यदि एक अल्प सूचक प्रश्न पूछा जाय तो हम उत्तर दे सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के कथन पर ध्यान देते हुए मेरा विचार है कि मुझे इस स्थगन प्रस्ताव के लिये आज्ञा नहीं देना चाहिये ।

राज्य परिषद् का संदेश

सचिव : श्रीमान्, राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त होने वाला निम्नलिखित सन्देश मुझे प्रतिवेदित करना है :—

"मुझे लोक सभा को सूचित करने का आदेश मिला है कि निष्क्राम्य सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक, १९५२, जो कि लोक सभा द्वारा २० फरवरी १९५३ को होने वाली बैठक में पारित किया गया था राज्य परिषद् द्वारा २५ फरवरी १९५३ को होने वाली बैठक में निम्नलिखित संशोधन के साथ पारित कर दिया गया है :

"कि प्रस्तावित धारा ४० के खण्ड १३ में, उपधारा (२) के खण्ड (ग) उपखण्ड (१) में शब्द "तीन हजार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रक्खा जाय"

अतः मैं, राज्य परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम १२६ के प्रावधानों के अनुसार उक्त विधेयक इस प्रार्थना के अनुसार वापस करता हूं कि उक्त संशोधन के सम्बन्ध में लोक सभा की सहमति से परिषद् को सूचित किया जाय ।"

निष्क्राम्य सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं सदन पटल पर, निष्क्राम्य सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक १९५२, जो राज्य परिषद् द्वारा

एक संशोधन सहित वापस किया गया है' रखना चाहता हूं ।

संघ शुल्क उत्पादन (वितरण) विधेयक

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं, कुछ संघ उत्पादन शुल्कों के शुद्ध आगम के एक भाग का राज्यों में वितरण करने का प्रावधान करने के लिये एक विधेयक पुरः-स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि कुछ संघ उत्पादन शुल्कों के शुद्ध आगम के एक भाग को राज्यों में वितरित करने का प्रावधान करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जावे ।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया ।

श्री त्यागी : मैं इस विधेयक को पुरः-स्थापित *करता हूं ।

हैदराबाद पत्र चलार्थ निरसन विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं, हैदराबाद पत्र चलार्थ अधिनियम संख्या २, १३२७ एफ. का निरसन करने के लिये तथा कुछ प्रासंगिक प्रावधान करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा दिये जाने की प्रार्थना करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि हैदराबाद पत्र चलार्थ अधि-नियम संख्या २, १३२७ एफ. का निरसन करने तथा कुछ प्रासंगिक प्राव-धान करने के लिये एक विधेयक पुरः-स्थापित करने की आज्ञा दी जावे"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया ।

डा० काटजू : मैं इस विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

*राष्ट्रपति के अनुमोदन से पुरःस्थापित

रेलवे आयव्ययक--अनुदानों की मांगें

मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड

मांग संख्या ४--साधारण संचालन व्यय--प्रशासन

मांग संख्या ६--साधारण कार्यकरण व्यय--संचालक कर्मचारी वृन्द

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन इन तीन मांगों पर तथा उस से सम्बधित कटौती प्रस्तावों पर विचार करेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : सदन के इस ओर सब कटौती प्रस्तावों पर एक विभाजन करान की इच्छा है तथा मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कटौती प्रस्तावों की संख्या निश्चित कर लें तथा मुख बन्ध समय नियुक्त कर दें । तब आयव्ययक वक्तव्य में कोई विघ्न दिये बिना हम विभाजन करा सकेंगे ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे): संख्या २५० श्रीमान् ।

श्री नम्बियार (मयूरम्): मेरी समझ में यह विचार किया जायगा कि कटौती प्रस्ताव कल रक्खे गये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी इन कटौती प्रस्तावों को देखूंगा और उन का अन्तिम रूप दूंगा । माननीय रेलवे मंत्री कितना समय लेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जितना समय श्रीमान् देना चाहें मैं आधे घंटे में समाप्त कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य आय व्यय लेखा पांच बजे पेश किया जायगा । क्या माननीय सदस्य इस के बाद बाहर जाना चाहेंगे या लगातार बैठे रहेंगे । केवल एक कटौती प्रस्ताव संख्या २५० पर विभाजन होगा तथा उस में २० मिनट लगेंगे । मैं

माननीय मंत्री को ३ बजकर ४५ मिनट पर सायंकाल बुलाऊंगा । लगभग ४ बज कर १५ मिनट सायंकाल हो जायगा ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : सदन के भंग होने तथा श्री देशमुख के आय व्ययक व्याख्यान के लिये एकत्रित होने के बीच कुछ अवकाश होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एकत्रित होने में २५ मिनट लगा सकते हैं ।

श्री नम्बियार : मैं जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में आप का ध्यान आकर्षित करता हूं उन का सम्बन्ध उन कार्यों से है जिन को रेलवे बोर्ड करने में असमर्थ रहा है जैसे समुचित वित्तीय नियंत्रण न रखना जिस से महान् हानियां तथा बरबादियां हुई हैं विशेषकर संविदाओं के सम्बन्ध में; तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधायें; यात्रियों की न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान, रेल-कर्मचारियों के जीवन में सुधार करना तथा मजदूरों के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम करना । स्विज़ फर्म के साथ जो संविदा किया गया था उस का जिक्र करते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि जनलेखा समिति ने स्विज फ़र्म 'श्लीरन' के साथ किये जाने वाले संविदा के सम्बन्ध में कुछ वैध त्रुटियां बताई थीं परन्तु कोई भी संकेत इस बात का नहीं है कि सरकार को कोई आर्थिक हानि हुई है धोखा या गबन की तो बड़ी दूर की बात है ।

इस प्रकार वे इनकार करते हैं । मैं इस के सम्बन्ध में अपना मत नहीं रखना चाहता । मैं सदन के सामने जन लेखा समिति का विचार ही रखना चाहता हूं । पृष्ठ १४ पर इस समिति ने कहा कि लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन की तिथि तक अर्थात् १९४९, १९५०, १९५१ में इस फ़र्म को संविदा की प्रविधिक सहायता सम्बन्धी शर्तों के सम्बन्ध में ८,८०,००० स्विज़ फ्रैंक दिये जा चुके हैं । जो कुछ प्रविधिक सहायता की गई है वह केवल इतनी है कि गाड़ियों के डिज़ायनों को अन्तिम रूप दिया गया है । इस कार्य के लिये इस फर्म के छै प्रविधिक कर्मचारियो ने १३ महीने सरकारी खर्चे से इस देश में निवास किया जिस के कारण सरकार को दो लाख रुपये का व्यय करना पड़ा । समिति लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के इस मत से सहमत है कि निर्माणशाला की स्थिति का निश्चय होने तथा वित्तीय प्रबन्ध पूर्ण हो जाने से पहले संविदा नहीं किया जाना चाहिये था । गाड़ियों के सप्लाई के सम्बन्ध में संविदा में कुछ "असाधारण" निबन्धन रक्खे गये थे अर्थात् गाड़ियों के आगणित मूल्य का ५० प्रतिशत "आर्डर देनेके साथ ही" अदा किया जाय । उन भुगतानों की "कथा" "रोचक" है । इस में "कथा" और "असाधारण" शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं । आगे चलकर पृष्ठ १६ पर समिति ने कहा है कि यह बड़ी असाधारण बात है कि जनवरी १९५० में अर्थात् डिज़ाईन बनाने के पहले ही आर्डर दे दिया गया तथा इसी के सम्बन्ध में २६ लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया । इस में भी "असाधारण" शब्द ध्यान देने योग्य हैं । आगे चल कर समिति का कहना है कि संविदा के खण्ड ६ से ज्ञात होता है कि इस फ़र्म ने जिस डिज़ाइन की गाड़ियां बनाई हैं वह "इस देश की परिस्थितियों के अनुकूल न होंगी" तथा यह कि एक अलग डिज़ाईन बनाया जायगा और उस का परीक्षण करना होगा । "इस देश की परिस्थितियों के अनुकूल न होंगी" इन शब्दों पर ध्यान दीजिये । आगे चल कर प्रतिवेदन कहता है कि समिति ने अग्रिम अदायगी पर कठोर आपत्ति उठाई । इस बात पर ध्यान देने पर कि अदायगी उस समय की गई जब कि फ़र्म ने निर्माण का कार्य भी आरम्भ नहीं किया था यह भुगतान और भी आपत्तिजनक हो जाता है । पृष्ठ १७ पर

[श्री नम्बियार]

प्रतिवेदन कहता है कि फर्म के त्रुटि पूर्ण कार्य करने पर भी १९५१ में ५० गाड़ियों का दूसरा आर्डर दिया गया तथा मार्च १९५१ में २८,७५,००० स्विज़ फ्रैंक का भुगतान कर दिया गया जब कि पहले आर्डर की एक भी गाड़ी उस तारीख तक इस देश में नहीं आई थी। अन्त में पष्ट १९ पर प्रतिवेदन कहता है कि मार्च १९४९ में एक असज्जित गाड़ी का आगणित मूल्य १,१०,००० स्विज फ्रैंक था, सितम्बर १९५० में १,३८,११३। नवम्बर १९५० में एक पूर्ण रूप से सज्जित तीसरे दर्जे की गाड़ी का मूल्य १,५०,०० स्विज़ फ्रैंक बताया गया जब कि अगस्त १९५२ में यह २,१५,८०० स्विज़ फ्रैंक हो गया। इस से प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है कि सरकार की उत्तरवादिता असीमित है तथा सतत रूप से बढ़ती रहती है। समिति ने इस को बड़ी चिन्ता का विषय बताया। साथ ही साथ साधारण तरह के तीसरे डिब्बे का मूल्य जिस का बाडी हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट फैक्टरी में निर्माण किया जाता है लगभग १,३०,००० रु० होता है। इस प्रकार मैं सदन के सामने व्यक्त करना चाहता हूं कि यह मत न मेरा है और न विरोधी दल का है वरन् जनलेखा समिति का मत है कि गबन किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री को इस संविदा का, तथा उन व्यक्तियों के आचरण का, जिन्होंने यह संविदा किया है औचित्य सिद्ध करने के लिये अपनी राह छोड़ कर बहुत दूर जाना पड़ा है। वह प्रत्यक्ष रूप से उन की सहायता कर रहे हैं और उन्होंने सदन से सत्यता छिपाने का प्रयत्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: सारा प्रतिवेदन पढ़ना आवश्यक नहीं है। केवल संक्षिप्त उद्धरण पर्याप्त होंगे।

श्री नम्बयार: इन उद्धरणों से प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है कि माननीय मंत्री का यह कहना कि गबन और धोखे का कोई संकेत भी नहीं है तथ्यों को झुठलाना है। मैं आशा करता हूं कि वह इस सारे मामले की जांच करें और जो व्यक्ति इसके लिये उत्तरदायी हैं उन को दण्ड दें। रेलवे बोर्ड के सदस्यों से मुझे कोई शिकायत नहीं है परन्तु देशवासियों के लिये रेलवे बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत करने के अनेक कारण हैं इसलिये अच्छा होगा कि रेलवे बोर्ड के सारे सदस्यों को निकाल दिया जाय तथा नये व्यक्ति नियुक्त किये जायें तथा सुधार किया जावे। व्यक्तिगत रूप से मेरी उन से कोई शिकायत नहीं है परन्तु इस स्विज़ संविदा के परिणाम स्वरूप मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं।

चितरंजन फैक्टरी के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि विदेशी विशेषज्ञों का प्रभुत्व है। माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि उस में १२ विशेषज्ञ हैं तथा उन को समूल हटाने में कई वर्ष लग जायेंगे। इस से प्रगट होता है हमारी नीति निर्माण करने की नहीं है बल्कि हम ने विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से केवल पुर्जे जोड़ने का संयन्त्र बनाया है। हम केवल यही चाहते हैं कि वह उत्पादन का केन्द्र बने केवल पुर्जे जोड़ने का नहीं। क्या माननीय मंत्री को यह सुझाव स्वीकार्य है?

अब मैं मज़दूर सभाओं को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर आता हूं। मैं कह चुका हूं कि कुछ मज़दूर सभाओं को मान्यता से वंचित रखने के लिये छांट लिया गया है केवल इस कारण कि वह माननीय मंत्री तथा रेलवे बोर्ड के राजनीतिक विचारों के अनुकूल विचार नहीं रखती हैं। इसीलिये मैं ने कहा था कि इस मामले में राजनीति को स्थान नहीं देना चाहिये। अभी उस दिन उपमंत्री ने अपनी वाक्य पटुता का परिचय देते हुए

हमारी राजनीतिक शक्ति को चुनौती दी थी। उन को अपने पूर्ववर्ती के पैरों पर पैर नहीं रखना चाहिये और न यह आशा करना चाहिये कि वह उपराज्यपाल हो जायेंगे। उन को विश्वास रखना चाहिये कि वह यह पद प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वह चुनौती देना चाहते हैं तो उन को चाहिये कि दक्षिण में आ कर मुकाबला कर लें। विषय को छोड़ कर इधर उधर की बात नहीं करना चाहिये। यदि उन से हो सके तो कह दें कि, "अमुक सभा प्रतिनिधित्व नहीं करती है अतः मैं उसे मान्यता नहीं प्रदान करूंगा।"

इस से सम्बन्धित सभा के प्रार्थना के अनुसार मैं ने ५ दिसम्बर को माननीय मंत्री को इस विषय पर एक प्रार्थना पत्र दिया था उसी के साथ दक्षिण रेलवे के ११,३३० कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी संलग्न थे। उस प्रार्थना पत्र की पांचवीं कंडिका में कहा गया था कि रेलवे के कर्मचारियों की एक बहुत विशाल संख्या इस सभा की सदस्य है तथा १० प्रतिशत से अधिक रेल कर्मचारी इस सभा के सदस्य हैं जैसा कि मज़दूर सभाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये बन्धेज किया गया है तथा यह भारतीय मजदूर सभा अधिनियम के अनुसार सांवैधानिक रूप से संचालित हो रही हैं अतः इस सभा को मान्यता प्रदान न करने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है।

१९४९ तक इस सभा को मान्यता प्राप्त थी। अब इस की सदस्यता १० प्रतिशत नहीं वरन् रेलवे कर्मचारियों की १५ प्रतिशत या २० प्रतिशत है। फिर इस सभा को मान्यता क्यों नहीं दी जाती है यदि कोई राजनीतिक कारण इस का आधार नहीं है। इस प्रश्न का उन को उत्तर देना ही पड़ेगा। उन्हें कम्यूनिस्ट पार्टी की शक्ति की बात नहीं करना चाहिये। यह उन के लिये हानिकारक होगा क्योंकि कम्यूनिस्ट पार्टी उन को हटा देगी। मैं इस विषय पर उन को चुनौती देता हूं।

अब मैं कर्मचारियों तथा आकस्मिक मज़दूरों के स्थायीकरण के विषय पर आता हूं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का स्थायीकरण नहीं हुआ है। दो लाख लोग ऐसे हैं जिन का स्थायीकरण नहीं हुआ है। इस के बाद प्रश्न आकस्मिक मज़दूरों का आता है। श्रीमान् अलगेशन ने मुझे सूचित किया था कि वह लोग जिन्हों ने लगातार ६ महीने काम किया है हालांकि वे अस्थायी हैं वरन् स्थायी समझे जायेंगे। परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि विभाग की ओर से निश्चित आदेश है कि जब छै महीने की अवधि पहुंचने लगे तो अन्झा डाल देना चाहिये। मैं सदन के सामने एक वह पत्र रख सकता हूं जिस से व्यक्त होता है रेलवे मन्त्रिमण्डल इसी नीति पर चल रहा है। पत्र का हवाला है: "प्रेषक संयंत्र चार्जमैन, टूल्स तथा प्लाण्ट डिपो जी० ओ० सी०—सेवा में पी० डब्लू० आई० पी० ओ० वाई० कापी डी० ई० एम० डी० यू०"।

अर्थात् यह पत्र पोलाच्ची से चला है तथा उस की एक प्रतिलिपि मदूरा भेजी गई।

"विषय: पोलाची में कंक्रीट मिश्रण के ड्राईवर

इस पत्र में दो अस्थाई ड्राइवरों का उल्लेख किया गया है जिन की सेवायें पोलाची में अपेक्षित होंगी तथा आगे चल कर यह पत्र कहता है कि यदि उन की सेवाएं इस मास की १५ ता० के आगे आवश्यक हों तो उन को शनिवार तथा रविवार को काम करने से रोक दिया जाय जिस से उन के लगातार छै महीने की सेवा में अन्झा उत्पन्न हो जावे और उस के बाद उन को फिर काम पर लगा लिया जावे।

[श्री नम्बियार]

इस प्रकार उन आकस्मिक मज़दूरों के साथ व्यवहार किया जाता है जिन की सेवाएं छै महीने से अधिक हैं ।

रेलवे मंत्री अवश्य ही बदला जाना चाहिये । यह पत्र उन के विभाग द्वारा भेजा गया है कि नहीं ? यदि नहीं तो मैं क्षमा याचना करने को तय्यार हूं परन्तु यदि भेजा गया है तो क्या वह और उन का मंत्रिमण्डल त्याग पत्र देने को तय्यार है ? आप हंस सकते हैं क्योंकि हम और आप संसद् के सदस्य हैं और हमें ४० रु० रोज मिलते हैं परन्तु सारे महीने काम करने पर भी मज़दूर को ४० रु० नहीं दिये जाते हैं ।

कर्मचारी अधिकरण के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल ने उन्हीं विषयों का निर्देश किया है जो उन के लिये सुगम हैं । अन्य विषय उन्हों ने छोड़ दिये हैं । जो तीन सदस्य उन्हों ने रक्खे हैं उस में एक आई० एन० टी० यू० सी० का है जो सरकार द्वारा पालित संगठन है दूसरा ए० आई० आर० एफ़० का है तथा तीसरा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है । किसी भी प्रतिनिधित्वपूर्ण संगठित यूनियन का कोई भी प्रतिनिधि नहीं रक्खा गया है । इस विषय पर दक्षिणी रेलवे कर्मचारी यूनियन ने माननीय मंत्री को एक पत्र लिखा है और कहा है कि कुछ और विषय सम्मिलित किये जायें ।

पहला रेल सुरक्षा (राष्ट्रीय सुरक्षा) नियमों का रद्द करना है दूसरा इन नियमों के अन्तर्गत निकाले गये तथा पदच्युत किये गये सभी रेलवे कर्मचारियों का फिर से काम पर लगाया जाना है । तीसरा विवादग्रस्त मामलों में रेलवे यूनियनों को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न है । इस सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों की मतगणना गुप्त मतदान द्वारा होना चाहिये । हम तो गुप्त मतदान के लिये तय्यार हैं पर सरकार को इस के लिये तय्यार होना चाहिये । चौथा प्रश्न आकस्मिक मज़दूरों की भर्ती को रोकना है, पांचवां सभी ऐसे अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण करना है जो एक वर्ष काम कर चुके हैं । छठा प्रश्न उन कर्मचारियों का फिर से काम पर लगाया जाना है जिन्हों ने पाकिस्तान जाने की इच्छा प्रकट की थी । ऐसे दो तीन हज़ार कर्मचारी हैं जिन को केवल इसलिये काम पर नहीं लिया जा रहा है कि उन्हों ने पाकिस्तान में बसने की इच्छा प्रकट की थी । रेलवे मंत्रालय की यह नीति अनुचित है । पाकिस्तान से तुम्हारा झगड़ा है तो इस कारण रेलवे कर्मचारियों का शोषण नहीं करना चाहिये । सातवां प्रश्न १९३१ से पहले के कर्मचारियों को उसी अनुपात से वेतन वृद्धि दिये जाने का है । केन्द्रीय वेतन आयोग के जन्म से ही यह प्रश्न पड़ा हुआ है इस का कोई निश्चय नहीं किया गया । मेरी समझ में नहीं आता १९३१ के पहले के कर्मचारियों को इस सुविधा से क्यों वंचित रक्खा जाता है आठवां प्रश्न संयम तथा पुनर्वाद के नियमों का पुनर्विलंघन है नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना तथा अफसरों द्वारा दिये जाने वाले अनुचित तथा स्वेच्छाचारी गुण्डों को रोकना । अन्तिम विषय मैट्रिक तथा अमैट्रिक कर्मचारियों में एक ही कार्य करने के लिये वेतन तथा पदोन्नति के भेद भाव को समाप्त करना है हम चाहते हैं कि यह विषय रेलवे कर्मचारी अधिकरण के सामने रक्खे जायें ।

अब मैं राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा नियम तथा उन के अन्तर्गत दण्डित किये जाने वाले व्यक्तियों का प्रश्न लूंगा । इस सम्बन्ध में श्री अमजद अली के ६ जून सन् ५२ के व्याख्यान की ओर निर्देश करूंगा ।

इन में से एक नियम यह है कि रेलवे सेवा का कोई सदस्य जो यथायोग्य अधिकारी की दृष्टि में विध्वंसकारी कार्यों में संलग्न हो

या उस के इस प्रकार संलग्न होने का सन्देह किया जाता हो या ऐसे कार्यों में किसी अन्य व्यक्ति का साथ देता हो जिस से कि उस के विश्वास योग्य होने में सन्देह उत्पन्न होवे तो उसकी सेवाओं के अथवा संविदा के निबन्धों के अनुसार उसे आवश्यक सूचना देकर या ऐसी सूचना के स्थान पर वेतन दे कर उसे अनिवार्य रूप से निर्वातित होने के लिये विवश किया जायगा या यथायोग्य अधिकारी द्वारा उस की नौकरी समाप्त कर दी जायगी । इस से अधिक तर्कहीन और क्या हो सकता है । केवल रेलवे सेवाओं में—अन्य सेवाओं की कोई गिनती नहीं—ऐसे नियमों के अनुसार ३०० कर्मचारी काम से अलग कर दिये गये हैं । रेलवे मंत्री का कहना है कि उन्हों ने प्रत्येक व्यक्ति के मामले की स्वयं छानबीन की है तथा उन को पूर्ण विश्वास है कि अधिकतर व्यक्तियों के मामलों में जो कार्यवाई की गई है वह सर्वथा उचित है । वह इसे किस प्रकार औचित्य सिद्ध कर सकते हैं ? मैं एक वाक्य में उत्तर नहीं चाहता । कुछ व्यक्तियों के मामलों को लेकर वह व्यक्तिगत रूप से देखें और बतावें कि इस प्रकार की जाने वाली कार्यवाई कैसे उचित है । यदि वह उन्मुक्त विचारों से निकाले गये रेल कर्मचारियों का मामला सुनने को तय्यार हों तो मैं उन के साथ बैठने को तैय्यार हूं ।

इसी प्रकार एक रेल कर्मचारी के खिलाफ़ की गई कार्यवाई का आधार बताते हुए श्री अमजद अली ने बताया कि कारण यह बताया गया कि चूंकि यथायोग्य अधिकारी के मत से उस ने ई० आई० रेल रोड वर्कर्स यूनियन की शाखा की कार्यकारिणी समिति के सदस्य की हैसियत से रेलवे कर्मचारियों में आवश्यकीय रसद तथा सूचनाओं के आने जाने के सिलसिले को ठप कर देने तथा इस प्रकार देश में अराजकता तथा गड़बड़ी उत्पन्न करने के उद्देश्य से पिछली रेलों में होने वाली हड़ताल के पक्ष में प्रचार कार्य किया था ।

अमुक रेलवे कर्मचारी ने देश में अराजकता तथा गड़बड़ी फैलाना चाहा । इस प्रकार के आरोप रेलवे कर्मचारियों पर लगाये जाते हैं और कहा जाता है कि प्रजातंत्र है ।

माननीय सदस्य ने कहा था कि वह द्वितीय वर्ग के अफसरों को २५ प्रतिशत के बजाय ३३ १/३ प्रतिशत पदोन्नति के अवसर देने के लिये तैय्यार हैं । परन्तु यही सुविधा वह तृतीय वर्ग के अधिकारियों को क्यों नहीं देते । द्वितीय वर्ग के कर्मचारियों को जैसे एक्टिंग स्टेशन मास्टर १२१/२ प्रतिशत पदोन्नति के अवसर दिये जाते हैं हम ने अभिवेदन किया था कि इस को बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया जाय परन्तु संयुक्त परामर्शदाता समिति ने उसे और भी घटा दिया है । जब उन्हों ने यह सुविधा द्वितीय वर्ग के अधिकारियों को दिया है तो यही सुविधा तृतीय वर्ग के अधिकारियों को क्यों नहीं दी जा सकती है । इस की प्रतिशतता को बढ़ा कर ३३१/३ प्रतिशत कर दिया जाय हालां कि मेरी प्रार्थना तो ५० प्रतिशत की है । मैं जानना चाहूंगा कि ७५ प्रतिशत कर्मचारी २५ प्रतिशत श्रेणियों में से कैसे गुजर सकते हैं । इसका अर्थ है कि ५० प्रतिशत तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को साधारण श्रेणी ही में रह कर निर्वातित होना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अब अपना व्याख्यान समाप्त करें ।

श्री मादिया गौडा (बंगलौर दक्षिण) मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैसूर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया है । मैसूर स्टेट रेलवे में ५० घोषित अधिकारी थे

[श्री मादिया गौडा]

और आशा की जाती थी कि जब केन्द्रीय सरकार इस रेल को अपने अधिकार में लेगी तो सारे घोषित अधिकारी प्रथम या द्वितीय वर्ग के घोषित अधिकारियों के रूप में रख लिये जायेंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश ५० में से केवल ३२ अधिकारी प्रथम या द्वितीय वर्ग के अधिकारियों के रूप में रक्खे गये तथा शेष १८ जिन्होंने १० वर्ष से अधिक कुशलतापूर्वक तथा ईमानदारी से काम किया था तथा जिन के विरुद्ध कोई आरोप कभी भी नहीं लगाया गया था उन को तृतीय वर्ग के अधिकारियों के रूप म रक्खा गया।

अधिकारियों को इस प्रकार ऊंचे पद से हटाकर नीचे पद में कर देना न्याय के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यह कार्य फेडरल वित्तीय संविलियन पर श्री कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन के सिद्धान्तों के भी विरुद्ध है। इस प्रतिवेदन के पृष्ठ २४ पर प्रत्यक्ष रूप से लिखा है कि इस प्रकार जब केन्द्र राज्यों से फेडरल विषयों को अपने हाथ में ले तो जो स्थायी कर्मचारी इस से सम्बन्धित कार्यों में लगे हों उन को ऐसी श्रेणी में लेना चाहिये जो उन के पद के अनुकूल हो तथा उन की सेवा के निबन्धन किसी दशा में उस से कम सुविधाजनक नहीं होना चाहिये जैसे कि वे राज्यों के अधीन काम करने पर थे।

२४–२५ फरवरी १९५० को होने वाले मुख्य सचिवों तथा राज्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी इस बात पर मतैक्य था कि एक तदर्थ समिति नियुक्त की जावे जो प्रत्येक घोषित अधिकारी के सम्बन्ध में सिफ़ारिश करे कि वह किस श्रेणी में लिया जावे तथा उस को कैसी उच्चता दी जावे। इस कार्य के लिये इस समिति में संघ लोक सेवा आयोग का भी एक सदस्य रक्खा जावे। सिद्धान्त रूप में इस पर भी मत एक था कि राज्य सरकार या राज्य लोक सेवा आयोग का एक सदस्य भी तदर्थ समिति के साथ परामर्शदाता के रूप में संलग्न रहे।

परन्तु ५० घोषित अधिकारियों में से केवल ३२ को लेने में इन सारे सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। मैसूर सरकार द्वारा अनेकों बार अभिवेदन किया गया तथा विरोध प्रकट किया गया परन्तु कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इन घोषित अधिकारियों को काम पर लेने के लिये नौकरियों की कमी नहीं थीं। वास्तव में कई नये पद बनाये गये हैं जिन में कम योग्यता वाले, अन्य स्थानों के व्यक्ति रक्खे गये हैं और उन अधिकारियों की दशा पर कोई विचार नहीं किया गया जो इस प्रकार ऊंचे पद से हटा कर नीचे पर कर दिये गये थे।

मैं माननीय रेलवे मंत्री से निवेदन करता हूं कि मैसूर स्टेट रेलवे के घोषित अधिकारियों के मामले पर जल्दी ही निर्विकार भाव से तथा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय।

इस अवसर पर, 'बंगलौर' जाने वाली लाइन को बढ़ा कर 'हसन' होते हुए 'मंगलौर' तक ले जाने के लिये परिमाप कार्य आरम्भ करने का निश्चय करने पर मैं रेल मंत्री को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह बड़ी लाइन होगी। दक्षिणी भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट को मिलाने वाली यह सब से छोटी लाइन होगी तथा यह अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी। मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस लाईन का निर्माण शीघ्र से शीघ्र आरम्भ कर दिया जाय ताकि इस क्षेत्र के ग़रीब आदमियों को जीविकोपार्जन का एक साधन मिल जाय।

मैसूर राज्य की कुछ अन्य लाइनें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो 'बंगलोर-होसूर' लाइन है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय

रेलवे मंत्री ने मान लिया है कि 'मोरप्पुर' वाली लाइन को अधिकार में लिया जावे तथा में उन से निवेदन करूंगा कि इस को बंगलौर से मिला दिया जावे। दूसरी लाइन जो बहुत छोटी है तथा अत्यन्त लाभदायक है वह 'थाला गुप्पा-जोग' लाईन है।

'बंगलोर-मैसूर लाईन' के विद्युत्करण पर अनेक बार जोर दिया गया है। यदि यह लाइन राज्य के पास होती तो शायद अब तक यह कार्य आरम्भ कर दिया गया होता। मैसूर में बिजली सस्ती है तथा सुगमता से उपलब्ध है। यदि इस का विद्युत्-करण कर दिया जावे तो अधिक व्यय नहीं होगा वरन् लाभ बहुत होगा।

इसी के साथ साथ मैं सरकार का ध्यान कुछ अन्य बातों की ओर ले जाऊंगा जो यात्रियों की सुविधाओं से सम्बन्ध रखती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रेलों में भिखमंगों का चलना है विशेषरूप से दक्षिण भारत की रेलों में। इन में से अधिकतर भीख मांगने वाले छूत वाले रोगों से पीड़ित होते हैं। उन को ट्रेनों में प्रवेश करने की आज्ञा देना यात्रियों की सुरक्षा के प्रतिकूल है। बहुधा तो भीख मांगने वाले और चोर में भेद करना भी कठिन होता है। यदि उचित उपाय किया जाय तो शायद दक्षिणी भारत की रेलों में जो लिखा रहता है "चोरों से होशियार रहो इसका डर ही न रहे। मैं आशा करता हूं कि रेलवे के गार्ड, स्टेशन मास्टर तथा पुलिस को आदेश दिया जाय कि इन भीख मांगने वालों को ट्रेनों में प्रवेश न करने दें तथा रेलवे स्टेशन के निकट न आने दें।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) : माननीय रेल मंत्री के व्याख्यान तथा हमें दी जाने वाली पुस्तकों से स्पष्ट है कि रेलों के प्रशासन को सुधारने के वास्तविक प्रयास किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री को छोटी सी रेलवे लाईन 'बारसी लाइट रेलवे' को अपने अधीन ले लेने पर बधाई देती हूं। यह लाईन लगभग १६० मील लम्बी है पर सरकार को इस पर केवल १.८९ करोड़ रुपया व्यय करना पड़ेगा। आगामी वर्ष में जिन लाईनों को सरकार अपने अधीनता में ले लेगी उन में से 'खंडवा-हिंगोली जोड़ने वाली लाइन' जो १८६ मील लम्बी है उस पर सरकार को ७.५ करोड़ रुपया व्यय करना पड़ेगा परन्तु, गुआ बाराबिल क्षेत्र को "मनहरपुर", 'रौरकेला' खण्ड से मिलाने वाली लाइन जो केवल ३१ मील लम्बी होगी उस पर सरकार को ३.५ करोड़ रुपया व्यय करना पड़ेगा। इस से प्रत्यक्ष है कि बारसी लाइट रेलवे को लेने से सरकार पर वित्तीय दबाव अधिक नहीं पड़ेगा फिर भी सरकार इस के द्वारा एक विशाल समुदाय की कठिनाइयों को दूर करेगी। लटूर से पंढारपुर जाने वाली लाईन को लीजिये। पंढारपुर महाराष्ट्र में तीर्थयात्रियों का प्रमुख केन्द्र है तथा प्रति वर्ष वहां चार बार एक लाख से पांच लाख व्यक्ति तक जाते हैं कुर्डूवाडी तथा पंढारपुर के बीच का भाग यात्रियों के लिये एक गतिरोध बन जाता है। अतः इस लाइन को लेने के सम्बन्ध में मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि वे यात्रियों की और भी अनेकों कठिनाइयों की ओर ध्यान दें। चार चार दिन तक यात्रियों को प्लेट फ़ारम पर बिना जल या भोजन या आराम करने के किसी प्रबंध के, बसर करना पड़ता है। मेले के दिनों में अतिरिक्त गाड़ियों तथा इंजनों के प्रदाय का प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे समय पर कुछ और गाड़ियों का चलाना भी आवश्यक है। नई लाइनों पर विचार करते समय मैं सुझाव देना चाहती हूं कि सरकार बारामती तथा पंढारपुर के मध्य भी लाइन बना दे। इस का परिमाप किया जा चुका है। इस के निर्माण हो जाने से कुर्डूवाडी तथा पंढारपुर के मध्य का गतिरोध भी कम हो जायेगा : आध यात्री दोंड से पडारपर चले

[श्रीमती मायदेव]

जायेंगे तथा ढोंड से कुर्डूवाडी तथा पंढारपुर भी जा सकेंगे ।

एक और बात ध्यान देने योग्य है । बारसी लाइट रेलवे का दूसरा सिरा लटूर है तथा दो स्टेशन हैं एक लटुर तथा दूसरा लटूर रोड । एक ही नाम के यह दो स्टेशन २० की दूरी पर हैं । लटूर रोड निज़ाम स्टेट रेलवे में है तथा लटूर बारसी लाइट रेलवे के क्षेत्र में स्थित है । परन्तु यह थोड़ी सी दूरी किसी रेलवे लाइन द्वारा मिलाई नहीं गई है । बहुधा ऐसा होता है कि यदि लटूर से लटूर रोड कोई माल ले जाना होता है तो सब गाड़ियों को खाली करना पड़ता है तथा माल बस के द्वारा लटूर रोड ले जाना पड़ता है । उस के बाद फिर माल डिब्बों में लादा जाता है । इस बारसी लाईट रेलवे का प्रबन्ध लेते समय इन दो छोटी बातों का भी ध्यान रक्खा जाय ।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगी कि गाड़ियों में महिलाओं के डिब्बे और अधिक संख्या में लगाये जाया करें ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों का किराया कम किया जाय जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी कहा गया है ।

इस के बाद मैं रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी के सम्बन्ध में एक बात की ओर निर्देश करूंगी । कहा जाता है कि इस प्रदर्शनी में रेलवे में कार्य में आने वाली सामग्रियों का प्रदर्शन किया जायगा तथा उन का विस्तृत विवरण, वार्षिक उपभोग तथा भारत में उन के उत्पादन की संभाव्यता के सम्बन्ध में सूचनाएं उपलब्ध की जायंगी । मेरा विचार है कि लघुपरिमाप उद्योगों की उन्नति तथा बेकारी को कम करने के लिये यह सर्वथा उचित कार्य होगा । मेरे विचार से सरकार के अन्य विभागों को भी ऐसा ही करना चाहिये परन्तु इस के साथ ही भारत में आयात होने वाली सामग्रियों पर परिमाण सम्बन्धी नियंत्रण होना चाहिये । तभी हमारे देश के उद्योग उन्नति कर सकेंगे ।

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व) : मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे मंत्री का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ है जो निर्वाचित होने से भी अधिक कठिन है । रेलवे प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि यदि मैं रेलवे प्रशासन के दोषों पर अपना ध्यान केन्द्रित करूं तो इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं उस महान् प्रगति से प्रभावित नहीं हूं जो कि रेलवे प्रशासन में गत दो वर्षों में हुई है विशेष कर हमारे वर्तमान मंत्री के समय में ।

यह बड़ी चिन्ता की बात है कि वर्तमान वर्ष का आयाधिक्य केवल ९·४८ करोड़ होगा, जब कि इसी का आगणित अंक २३·४७ करोड़ था तथा १९५१–५२ में २८.३४ करोड़ था । १९५३–५४ के आयव्ययक वर्ष में भी आयाधिक्य केवल ९·३१ करोड़ होगा । मंत्रालय को चाहिये कि आयाधिक्य की पुरानी सतह को प्राप्त करने के लिये समुचित प्रबन्ध करे । आयव्ययक व्याख्यान तथा "यात्रा की समुन्नत परिस्थितियों की ओर" नाम की पत्रिका से यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के एक विशाल कार्यक्रम का आभास होता है । इस सम्बन्ध में भी मुझे खेद है कि छै वर्गों में उत्तर पूर्वीय वर्ग सब से अधिक उपेक्षित है तथा इस वर्ग में वह भाग जो लखनऊ तथा बरेली के मध्य में है वह सब से अधिक उपेक्षित है । माननीय मंत्री ने इस वर्ग में नई चलाई जाने वाली अनेक लाइनों

की तालिका दी है परन्तु लखनऊ तथा बरेली के मध्य में न तो कोई नई गाड़ी चलाई गई है और न किसी पुरानी गाड़ी के परिचलन पथ का ही विस्तार किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि पीलीभीत से दो लाइनें चलती हैं एक तनकपुर को तथा दूसरी शाहजहांपुर को। विशालपुर पीलीभीत ज़िले की तीन तहसीलों के प्रधान कार्यालयों में से एक है जिस का ज़िले के प्रधान कार्यालय से किसी पक्की सड़क द्वारा सम्बन्ध स्थापित नहीं है और न कोई कच्ची सड़क ही है। तथा न कोई बस सर्विस ही है यह ज़िले का मुख्य व्यापारिक केन्द्र है। इन दो स्थानों के बीच में केवल दो गाड़ियां चलती हैं। लड़ाई के पहले तीन चार गाड़ियां चलती थीं। शाहजहांपुर तथा पीलीभीत व विशालपुर तथा पीलीभीत के बीच में कम से कम लड़ाई के पहले चलने वाली गाड़ियां में से एक गाड़ी और चलाना चाहिये।

यही हाल तनकपुर का है। हालांकि तनकपुर नैनीताल ज़िले में है यह एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। दोनों गाड़ियां जो इस स्थान को जाती हैं मिली जुली गाड़ियां हैं। कुछ और गाड़ियों का चलाना बहुत आवश्यक है क्योंकि दोनों गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है।

अब मैं पुरानपुर रेलवे स्टेशन के सम्बन्ध में कहूंगा। बरेली तथा लखनऊ के रास्ते में यह स्टेशन स्थित है जो तहसील का प्रधान कार्यालय है। इस २३ या २४ मील की दूरी के बीच की कोई पक्की सड़क या बस सर्विस भी नहीं है पुरानपुर से दो गाड़ियां ३ और ४ बजे के बीच में सुबह तथा पीलीभीत से दो गाड़ियां लगभग १२ बजे रात को चलती हैं तथा दो तीन घन्टे के कार्य के लिये भी २४ घन्टे व्यय करना पड़ता है। दो वर्ष पूर्व पीलीभीत से एक व्यापारी कुछ रुपया लेकर सुबह आ रहा था उस को छुरा भोंक कर मार डाला गया। पुरानपुर के लिये और गाड़ियों का प्रबन्ध होना चाहिये तथा गाड़ियों के समय में परिवर्तन करना चाहिये। रेलवे बोर्ड ने इस आवश्यकता को स्वीकार किया है पर उन का कहना है कि उन के पास अपेक्षित स्टाक नहीं है। एक शटिल गाड़ी या डीज़िल गाड़ी का प्रबन्ध करने के लिये आश्वासन दिया गया था परन्तु अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

रेलों में होने वाली चोरियों तथा हानियों के फलस्वरूप होने वाली अधियाचनाओं के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इन की वृद्धि इतनी अधिक हो रही है कि १९३८–३९ में ४ लाख के स्थान पर इस वर्ष इसका अंक ३१४ लाख हो गया है। माननीय मंत्री के कथनानुसार दिये जाने वाले मुआवज़े की धनराशि १९५१–५२ में २,९१,८०,८६७ थी तथा १९५०–५१ में ३,११,१३,२३३ थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चोरियों में केवल पेशेवर चोर का ही हाथ नहीं है वरन् अन्य लोगों का भी हाथ है तथा जब तक उन को खतम नहीं किया जायगा सुधार नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इन चोरियों के सम्बन्ध में एक ब्योरा तैय्यार करे जिस से ज्ञात हो सके कि इन चोरियों के सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई।

अधियाचनाओं के भुगतान करने में लगने वाले समय के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने औसत रूप से लगने वाले समय का उल्लेख करते हुए बताया है कि यह औसत १९४९–५० में ९४ दिन, १९५०–५१ में ७५ दिन तथा १९५१–५२ में ७२ दिन था।

एक वकील के रूप में जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है उस के अनुसार रेलवे अधिनियम की धारा ७७ के अनुसार रेलवे को माल सौंपने की तारीख से छै महीने के अन्दर अधियाचना का किया जाना आवश्यक है। तदोपरान्त

[श्री एम० एल० अग्रवाल]

६ महीने के बाद ही न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

अधियाचनाओं के निपटारे का प्रश्न आने पर रेलवे बोर्ड ने जो नुस्खा बना लिया है उसी पर दृढ़ रहने का प्रयत्न किया जाता है क्योंकि उस के अनुसार न्यायालय जो मुआवज़ा दिलाता है उस से कहीं कम मुआवज़ा दिलाया जाता है। इतना ही नहीं वरन् डिग्री हो जाने पर भी भुगतान नहीं किया जाता है जिस के कारण अधियाचकों को इजरा करानी पड़ती है और सरकार को मुआवज़े के साथ साथ इजरा का खर्चा भी देना पड़ता है जो सर्वथा अनुचित है। मैं साथ ही साथ सरकार का ध्यान बिना टिकट यात्रा करने वालों की ओर दिलाऊंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र म तनकपुर तथा शाहजहांपुर की दो लाईनों पर बिना टिकट यात्रा बहुत प्रचलित है रेल के अधिकारियों द्वारा इन से कम किराया ले कर सौदा पटा लिया जाता है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

३ म० प०

यात्रियों की सुविधा के लिये बनाये गये नियमों का पालन स्टेशन के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि नियम है कि गाड़ी आने से एक घन्टा पूर्व टिकट बाबू की खिड़की खोल दी जाय परन्तु मेरा स्वयं अनुभव है कि अपने ही क्षेत्र के एक स्टेशन पर गाड़ी आने से दस मिनट पूर्व जब मैं ने टिकट बाबू से खिड़की खोलने को कहा तो वे बहुत रुष्ट हो कर बोले कि क्या मेरे पास यही एक काम है यदि इस तरह नियमों का पालन किया तो हम कार्य ही नहीं कर सकते। इसलिये प्रशासन द्वारा जो नियम जनता की सुविधार्थ बनाये गये हैं उन का जो व्यक्ति पालन न करे उन के विरुद्ध कार्यवाई की जानी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लखनऊ तथा बरेली के मध्य एक स्टेशन भोजीपुरा है जिस के पूर्व में ८ मील पर एक स्टेशन सैंथल है तथा भोजीपुरा सैंथल के दोनों ओर तीन तीन मील पर स्टेशन स्थित हैं। भोजीपुरा तथा सैंथल के मध्य का पैदा होने वाला गन्ना इसी दूरी के कारण कारखानों में नहीं जा पाता है तथा यात्रियों की दृष्टि से से भी भोजीपुरा सैंथल के मध्य एक स्टेशन होना चाहिये। मैं ने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को लिखा था तथा मुझे उत्तर प्राप्त हुआ था कि यह मामला विचाराधीन है। मैं निवेदन करूंगा कि भोजीपुरा तथा सैंथल के मध्य यदि एक स्टेशन बना दिया जाय तो जनता को बड़ी सहायता मिलेगी, कृषि की उपज विशेषकर गन्ना कारखाने पहुंच सकेगा तथा रेल विभाग की आय बढ़ेगी।

—

डा० जाटववीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : आज मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस सदन में अपने विचार प्रगट कर रहा हूं। इस से पूर्व कि मैं अपने विचारों को इस सदन के सामने रक्खूं मैं अपने रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हृदय से बधाई देता हूं उन्हों ने रेलों की उन्नति करने के लिये जो योजनाएं और धन इस सदन में स्वीकृत कराने के लिए रक्खा है प्रशंसनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि जब किसी मेम्बर अथवा सदस्य को अपने विचार प्रगट करने होते हैं कोई बात चाहता है तो वह बजट के बाद में कटौती का प्रस्ताव रख कर के अपने विचार प्रगट करता है। इसी बात को लेते हुए मैंने आप के समक्ष तीन कटौती के प्रस्ताव रक्खे हैं। तीन कटौती के प्रस्ताव जो कि मेरे नाम में हैं और यद्यपि मैं विरोधी पक्ष की ओर से बोल रहा हूं तथापि मंत्री महोदय से मेरी

प्रार्थना है कि उन पर वह ध्यान दें सिर्फ इस कारण चूंकि वह विरोधी पक्ष की ओर से पेश किये गए हैं उन की ओर कोई ध्यान न देना और परवाह न करना उचित न होगा। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय, जो मैं तीन बातें उन के सामने रखने जा रहा हूं उन पर ध्यान देने की कृपा करें।

सन् १९४७ में देश में स्वतन्त्रता आई और परमात्मा करे वह दिन शीघ्र आये जब देश के अन्दर से यह, जिन को आप पिछड़ी हुई जाति वाले कहते हैं, दलित जाति या परिगणित जाति वाले कहते हैं यह नाम सदा के लिए मिट जाय और इंसान २ में कोई भेदभाव न रहकर पूर्ण समानता आ जाय। सन् ४७ में सरकार की ओर से यह घोषणा की गयी थी कि सरकारी नौकरियों में परिगणित जाति वालों को साड़े बारह प्रतिशत के हिसाब से नौकरियां दी जायेंगी लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि यह चीज़ अभी तक नहीं हो पाई है। अभी कल ही विरोधी दल की ओर से एक सज्जन इस सदन के समक्ष अपनी भावना को प्रकट करने के लिए खड़े हुए तो दूसरी तरफ से उन के भाषण में रोड़े बरसाये गये और बाधाएं डाली गयीं अच्छा तो यह होता कि आप लोग उन की बातों का समर्थन करते लेकिन उल्टे उन्हों ने जो बातें सदन में पेश कीं उन की खिल्ली उड़ायी गयी मुझे यह सब देखकर बड़ा कष्ट और दुख हुआ मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं इस बात को यहां पर बतलाऊं लेकिन चूंकि मैं अपने रेलवे मंत्री से परिचित हूं इसलिए मैं सब बतलाने के लिए उद्यत हो गया आखिर सत्य बात को कहने में कोई हिचक भी नहीं चाहिए, इसी लिए मैं इन स्थगन प्रस्ताव (cut-motions) के द्वारा आपका ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं और यह आशा रखता हूं कि आप इन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान में परिगणित जातियों के हितों के रक्षण के लिए केवल दस वर्ष का ही समय है जिस में से तीन वर्ष बीत भी चुके हैं, अब सात वर्ष बाकी हैं सर्विसेज के विषय में पांच वर्ष का जो रवैया है वह मैं आप को बता देना चाहता हूं। कल हमारे एक मित्र ने बताया था कि सन् ४९ में क्लास नम्बर १ और २ में कोई परसेन्टेज नहीं मिल रहा और आप के कथनानुसार क्लास तीन में भी बहुत कम अनुपात है। आप कहते हैं कि उन में केवल मैट्रीकुलेशन की परीक्षा वाले भर्ती होते हैं उस क्लास तीन में सन् १९४९ में अनुसूचित वर्ग (Schedule class) वालों की २.७ संख्या थी। इसी प्रकार से सन् ५० में क्लास तीन में ३.७ संख्या थी और सब मिला कर के कुल ३.९ संख्या रही और क्लास १ और २ में तो उन की संख्या केवल .३ ही रही अब आप ही बतलाइये कि ऐसी दशा होते हुए आशा हो सकती है कि यह कौम जिस को पिछड़ा हुआ वर्ग कहते हैं, अगले सात वर्ष के अन्दर जितना उस का परसेन्टेज और प्रतिशत सरकारी सर्विसेज में होना चाहिये, हो जायगा। सन् १९५० में जब उन को ३.९ के हिसाब से नौकरियां मिलती हैं तो सन् ५१ में यह आशा थी कि हमारी पापुलर सरकार इस संख्या को दुगनी कर देगी और ६ परसेंट तो ले ही आयेगी। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सन् ५१ में १९६६ लोग क्लास १ और २ में भर्ती हो कर उतीर्ण होकर आ जाते हैं जिन में दलित जाति के केवल ३ ही लिये जाते हैं सन् ५० में .३ और सन् ५१ में .२ ही रह जाते हैं मैं आप का ध्यान इन फिगर्स की ओर दिलाया चाहता हूं और चाहूंगा कि आप ऐसा कुछ प्रयत्न करें जिसमें यह कमी भविष्य में न हो और इन में बढ़ती होती जाय। इसी प्रकार से जो आप की थर्ड क्लास सर्विस है और जिन में ३.९

[डा० जाटववीर]

प्रतिशत है उस के बारे में आशा यह की जाती थी कि वह बढ़ कर के साढ़े सात या सात प्रतिशत अवश्य हो जायगा लेकिन मैं आप को बताऊं कि वह ३.२ ही रह जाता है। न तो उन की भर्ती (recruitment) होती है और न उन को उत्तीर्ण कर के लिया जाता है यह दशा हमारे भाइयों की आज सर्विसेज में हो रही है प्रति वर्ष सात हजार आदमी आप के मैट्रीकुलेटेड लिये जाते हैं, जिन में आप केवल २, ४ या ६ दलितजाति के लेते हैं। आज के समय में यह बेइन्साफी है यह अन्याय है आप लोग इस को क्यों भूल जाते हैं? इसी लिये मैंने अपने कट् मोशन के द्वारा आप से यह प्रार्थना की है कि आप रेलवे की नौकरियों के लिये जो बोर्ड या आयोग (commission) नियुक्त करते हैं उस में इन के आदमियों में से कोई एक ले कर नियुक्त करें। इस सम्बन्ध में यह मेरा सुझाव (suggestion) है।

दूसरी बात मैं अपने कट् मोशन को पेश कर के आप के सामने यह रखना चाहता हूं जैसा कि हमारे श्री बलवन्त सिंह जी मेहता और श्री सोमानी जी ने आप के सामने राजस्थान की दुर्दशा रक्खी है। श्री बलवन्त सिंह जी ने आप को यह बतलाया है कि राजस्थान के भील लोगों की क्या दुर्दशा है। इस सम्बन्ध में मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि रेलवे में हजारों बीघा जमीन घिरी हुई है जो किसी काम में नहीं आती है। यदि उस रेलवे की बची हुई जमीन को आप उन हरीजन निर्धनों को दे दें जिनके द्वारा आप की अन्न की समस्या हल हो सकती है तो बहुत अच्छा हो। मैं आप के पास से कुछ नहीं मांगता। केवल जो जमीन लापर्वाही के कारण बेकार पड़ी हुई है उस को अगर आप उन लोगों को और हरिजनों को दे दें तो एक तो आप की खाद्य समस्या जो आज देश के अन्दर है वह मिट सकती है दूसरे जो आप की बेकारी की समस्या है वह भी बहुत हद तक मिट सकती है।

इसी प्रकार से मैं ने अपना तीसरा कटौती का प्रस्ताव घूस खोरी के सम्बन्ध में रखना है। हमारी बहन श्रीमती उमा नेहरू जी ने आप के सामने घूसखोरी का एक दृष्टान्त भी रखा लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि रेलवे के अन्दर पैसा कटी की घूस खोरी नहीं है जो कुली स्टेशन पर हुआ करते हैं उन का ठेका राय बहादुर फलाने या राय बहादुर फलाने को दिया जाता है। ऐसे लोगों को ठेका देने के कारण उन बेचारे कुलियों से रिश्वत ली जाती है। आप तो हजारों रुपये उन ठेकेदारों को माल चढ़ाने और उतारने (loading) (unloading) के देते हैं, लेकिन उन कुलियों से सारा काम बेगार में लिया जाता है जब कि हमारे विधान के अन्दर लिखा हुआ है कि किसी से बेगार नहीं ली जायगी। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उन कुलियों का ठेका आप सहकारी आधार (co-operative basis) पर दें जिस में जो पचास पचास कुलियों को लोडिंग और अनलोडिंग पर लगाया जाता है और उन को पैसा नहीं दिया जाता है वह बन्द हो जाय। वह स्टेशन पर एक आना बंडल की मजदूरी करने के लिये आता है लेकिन उस गरीब को बिना पैसे के उस ठेकेदार की बेगार करनी पड़ती है। और उस रिश्वत में साझा किस का होता है? स्टेशन मास्टर और स्टेशन स्टाफ का और हमारे हरिजन को ठेकेदारी का मौका दें मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की अस्पृश्यता (untouchability) को मिटाने की कोशिश करें। अपने भाषण में पूज्य राष्ट्रपति जी ने यह बात बतलाई कि देश के अन्दर छुआ छूत मिट गई नहीं, नहीं,

यह बात उन को बतला दी गई है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं इस सदन में बड़े ही दुःख के साथ कहता हूं कि अभी छुआ छूत मिटी नहीं है। बल्कि छुआ छूत तो बढ़ गई है पंजाब में स्वर्ण जाति के एक कुएं पर एक अछूत जाति का आदमी नहीं चढ़ सकता है। चाहे वह मर ही जाय। यही दशा राजस्थान की है। वहां पर हाल यह है कि जो सुविधायें हरिजनों को राजाओं के सामने थीं वह आज जनतन्त्र हो जाने से नहीं हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य): रेलों पर बोलिये।

डा० जाटववीर: मैं जानता हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिये। लेकिन मैं इस के सिलसिले में यह बात कहना चाहता हूं कि जब भी मैं कोई बात बोल रहा होऊं तो उपाध्यक्ष महोदय कृपा कर के कोई सदस्य (interrupt) विघ्न न डालें। अपनी योग्यता का परिचय न दें।

मैं दो तीन मिनट में कुछ बात और कहना चाहता हूं। यह मेरे हृदय की भावना है और वह मैं मंत्री महोदय से इस सदन में ही नहीं बल्कि बाहर भी प्राइवेट तौर से कहूंगा कि यदि वह वास्तव में छुआ छूत की भावना मिटाना चाहते हैं यदि हरिजनों को, परिगणित जातियों को औरों के बराबर लाना चाहते हैं तो वह यह ठेके उन लोगों को क्यों देते हैं जो आप के स्टेशन मास्टरों और स्टाफ को भ्रष्टाचारी (corrupt) कर देते हैं? यह ठेके कोआपरेटिव बेसिस पर दलित जातियों के उन लोगों को ही दिये जायें जो यह काम करते हैं। इसी प्रकार से हरिजनों को टी स्टाल और खोंचे वालों को सर्व प्रकार के ठेके कोआपरेटिव बेसिस पर दें यानी जलपानगृह (refreshment rooms) भोजनालयों के ठेके दें और फिर देखिये कि देश के अन्दर से कितनी जल्दी छुआ छूत मिट जाती है। सरकारी नौकरियों के लिये भी मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि दूसरे जाति के लोगों को हरिजनों के स्थान पर नहीं आने देना चाहिये। लेकिन यह तो आपके करने की चीज़ है। मैं ने राष्ट्रपति जी के भाषण में सुना है कि देश से छुआ छूत दूर हो गई है। यदि वह वास्तव में दूर हो गई है तो छोटी जातियों को कोआपरेटिव बेसिस पर ठेके दिये जायें।

चौथी क्लास की नौकरियों के लिये आप जवाब देंगे कि हरिजन जाति का परसेन्टेज काफी है। श्रीमान जी मेहतरों का परसेन्टेज कैसा? मेहतर के काम के लिये तो मेहतर ही चाहिये। गारा ढोने वाले काम के लिये गारा ढोने वाले चाहियें इसी तरह से मिट्टी ढोने का काम है तो मिट्टी ढोने वाले चाहियें। इस परसेन्टेज को दूसरी सरविस में लगाना सर्वथा अनुचित है।

मैं देखता हूं कि एजुकेशन मंत्री और हमारे कांग्रेस गवर्नमेन्ट आज परिगणित जातियों को सब के बराबर लाने के लिये लाखों रुपया खर्च कर रही है तो कोई वजह नहीं है कि उन हरिजनों के योग्य बालकों को, उन के होनहार लड़कों को जो रिश्वतखोरी नहीं जानते आप ऊंची सर्विसेज में जगह न दें या उन को ठेके न दें। उन को बराबर लाने के लिये आप को उन के उत्साह के बढ़ाना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने कट् मोशन इस लिये नहीं पेश कर रहा हूं कि मैं आप का विरोध कर रहा हूं आप ने जो बजट यहां पेश किया है उस के लिये बजट की और आप की दोनों की सराहना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं अपने कट् मोशन उपस्थित कर रहा हूं आप की मर्जी है आप मानें या न मानें क्योंकि वह विरोधी बेंचेज की तरफ से आये हैं। लेकिन मुझे आशा है

[डा० जाटववीर]

कि हमारे मंत्री महोदय सब बातों पर जरूर विचार करेंगे और मेरे कट् मोशन को स्वीकार करेंगे ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िल हरदोई—दक्षिण-पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप ने मुझे रेलवे बजट के स्वागत के लिये जो अवसर दिया है उस के लिये मैं आप का हृदय से धन्यवाद करता हूं । यद्यपि मुझे कुछ बोलना नहीं था लेकिन रेलवे के सम्बन्ध में मुझे दो चार बातें याद आ गईं और वही मैं इस के सम्बन्ध में कहूंगा । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन को ध्यान से सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे । करीब करीब सभी विषयों में बहुत से महानुभाव बोल चुके हैं इस लिये मैं उस को नहीं दुहराऊंगा ।

मुझे यह कहना है कि जो कुछ रेलवे के सम्बन्ध में हो रहा है या होना चाहिये वह सरकार की शक्ति से ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी मानव समाज में हमेशा कुछ न कुछ आवश्यकता बनी रहती है और उस को देखते हुए मैं कुछ बातें आप के सामने रखूंगा ।

रेलवे म कुलियों की दशा इतनी खराब है कि वह एक ठकेदार के अधीन रहते हैं और ठेकेदारों के साथ और भी अधिकारियों का सम्बन्ध रहता है । कुलियों से दूसरे आदमियों का भी काम बेगार में लिया जाता है ।

कुलियों के रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । दूसरी बात यह है कि रेलवे का जो छोटे तबके का स्टाफ है जैसे गेंगमैन है और इसी प्रकार के दूसरे लोग हैं उन को तरक्की देनी चाहिए । रेलवे में बहुत से ऐसे महकमे खोले गये हैं जो आवश्यकता से अधिक हैं और उन की वजह से बहुत गड़ बड़ी होती है एक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता (medical aid) का महकमा है उस में दवाएं बहुत कम बंटती हैं और काफी रुपया बचा रहता है । ऊंचे ऊंचे डाक्टर हैं लेकिन छोटे तबके के कर्मचारियों को दवाएं बहुत कम मिलती हैं और वह बेचारे बाहर से दवा कराते हैं । मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि यह और महकमा न खोला जाय । यह बहुत अच्छा है लेकिन इस में सुधार किया जाय और दवाइयां अधिक खरिदवायी जायें और छोटे तबके के कर्मचारियों को दवाइयों की विशेष सुविधा दी जाये ।

इस सम्बन्ध में मुझे कुछ और भी कहना है । कुछ ऐसे महक्मे खुले हुए हैं जिन के पास कोई प्रोग्राम नही है । जैसे कि वैलफेयर का महकमा एक प्रकार से धर्मादा खाता खुला हुआ है और सरकार रुपया बांट रही है । यदि उन के पास कोई खास प्रोग्राम है तो उस को चलाये लेकिन कभी कभी खेल कूद के सिवा उन के पास कोई और प्रोग्राम नहीं है । इसलिये इस की जांच की जाय और यदि इस महकमे के पास कोई प्रोग्राम नहीं है तो उस को बन्द कर दिया जाय ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी यूनियन्स चल रही हैं । किन्तु ऐसी रेलवे यूनियन को तरक्की देनी चाहिये जो कि आपसी समझौते के ढंग से काम चलाती हो । इस से भी रेलवे का सुधार हो सकता है । रेलवे विभाग के बहुत से अफसरान ऐसे हैं मैं यह नहीं कहता कि सब ही ऐसे हैं जो काफी गड़बड़ी करते हैं । भ्रष्टाचार विरोधी के अफसर जो नियुक्त हैं उन से वह लोग मिल जाते हैं और जो रिश्वतें चलती हैं तो उन में सब का बटवारा होता है । सब के हिस्सों की बांट हुआ करती है । मैं आप को इस का

प्रमाण दे सकता हूं । मैं ने देख भाल की तो मालूम हुआ कि यह महकमा इसलिए बना था कि इस महकमे के द्वारा रिश्वत कम होगी लेकिन जब रक्षक ही भक्षक हो जाये तो दुनिया में कौन बचाने वाला है । जब वह महकमे वाले उन से रिश्वत में हिस्सा लेते हैं तो वह भी उन पर छापा नहीं मारते हैं और रिश्वतें और बढ़ जाती हैं । इसलिये उनकी कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ।

रेलवे का जो कमीशन बना है उस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस में उन लोगों को भी लेना चाहिए जो कि निम्न श्रेणी के काम करने वाले हैं इस प्रकार से सहयोग से काम होना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेन्ट को खर्च में कमी करनी है तो वह कुछ कामों को ऐसे अफसरान को दे जिन के पास काम कम है और जिन को और काम दिया जा सकता है । इस तरह भी बहुत बचत हो सकती है । बहुत सा ऐसा स्टाफ है जिस के पास काम कम होता है और समय उन के पास बहुत ज्यादा होता है । तो उस समय में वह कोई न कोई और स्कीम बनाते हैं । जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन के पास ज्यादा काम होता है और उन को फुरसत नहीं होती । इन चीजों की ठीक ठीक जांच होनी चाहिए ।

यूनियनों के बारे में मैं ने कहा था । जो रेलवे यूनियन हैं उस ने भी काफी काम किया है । उस के २४ हजार मेम्बर हैं और उन्हों ने पंजाब अकाल मद्रास अकाल और आसाम अकाल में जितनी उन की शक्ति थी सहायता भी की है । वह इस तरह अपना कार्य कर रहे हैं । मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूं कि यदि ऐसी यूनियनों को तरक्की दी जाय तो आपस में समझौते के ढंग से काम हो सकता है । उन के पास करीब पांच या छः सौ झगड़े आये जिन को उन्हों ने निबटाया । इस प्रकार उन को यदि तरक्की दी जाय तो झगड़े न हो कर आप का काम हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त मुझे माननीय मंत्री जी से दो चार बातें पुलों के सम्बन्ध में भी कहनी हैं । हिंदुस्थान में बहुत जगह जनता की यातायात के लिये पुलों की आवश्यकता है जैसे बालावाली का रेल का पुल है, कालपी का पुल है और भी गंगा पर और दूसरे रेल के पुल हैं, उन पर जनता का यातायात न होने से जनता को बहुत दिक्कत होती है । अगर सरकार के पास इन पुलों को बनाने के लिये इस समय रुपया नहीं है तो वह आने वाले बजट में इनके लिये रुपया रखें, प्रान्तीय सरकारों को आदेश दें कि वह उन को अपने खर्च से बनावें और केन्द्रीय सरकार भी उन को मदद करे । तो इस से यह होगा कि जो एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की दिक्कत है वह दूर हो जायगी । इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उन्नाव में एक पुल की बहुत आवश्यकता है । वह मेरा निर्वाचित क्षेत्र है इसलिए मुझे उस का अनुभव है । उन्नाव शहर में रेल को पार करने का कोई भी पुल नहीं है । वह उस मेन लाइन पर है जो दिल्ली से कानपुर, लखनऊ होती हुई कलकत्ता जाती है । वहा पर मालगाड़ियां और दूसरी गाड़ियां बहुत आती रहती हैं । मैं समझता हूं कि इस वजह से २४ घन्टे में कम से कम आठ घन्टे तक सड़क का फाटक बन्द रहता है और चलने वाली जनता की बहुत भीड़ हो जाती है । वह छोटा सा शहर है और इस से वहां बहुत दिक्कत होती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह वहां भी जनता की यातायात के लिये एक पुल बनाने की योजना रखे ।

एक बात मुझे और कहनी है । वह यह कि रेलवे की बहुत सी फालतू जमीन है । कुछ रेलवे के अफसर उस ज़मीन को जुतवाते

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

हैं दूसरे लोगों से और उस का अनाज उन के यहां आता है । मैं उन के नाम भी जानता हूं । कुछ लोग तो जोतने वालों से पैसा भी लेते हैं । इस जमीन से रेलवे को कोई इनकम नहीं होती । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस जमीन को सरकार भूमि हीन मजदूरों को दे । इस से उन के कुटुम्ब की भी गुजर हो सकती है और सरकार को भी उस का लगान मिल सकता है और आमदनी हो सकती है । इस से काफी फायदा हो सकता है । यदि रेलवे को उस ज़मीन की आवश्यकता हो तो वह उनसे लिखा सकती है कि जरूरत पड़ेगी तो यह हम ज़मीनें वापस ले लेंगे । यह ज़मीन उन को स्थाई तौर पर दे दी जायें ताकि वह उन को जोतें । हिन्दुस्तान में रेलवे की लाखों बीघा भूमि फालतू पड़ी हुई है । अगर यह जमीन उन लोगों को दे दी जाय तो इस से सरकार को भी फायदा हो सकता है और गरीब जनता का भी भला हो सकता है । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि जल्दी से जल्दी वह इस काम को देखें ।

ज़िला सहारनपुर में मैं ने विशेष रूप से जांच की है । वहां सीलोनी नदी के आसपास बहुत सी जमीन है । रेलवे के अफसर वहां से उन लोगों से जो इस को जोतते हैं रुपया लेते हैं और वह जमीन छोटे लोगों को नहीं मिलती । तो मैं उन का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा ।

मुझे और कुछ विशेष नहीं कहना है । यही दो चार बातें मुझे कहनी थीं । उन की ओर मैं ने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया । आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया इस के लिए मैं आप को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपना स्थान लेता हूं ।

श्री बल्लाथ रास (पुदुकोटै) : भारतीय जनता दो अजगरों के साथ बंधी हुई है एक केन्द्रीय आय व्यय लेखा है तथा दूसरा रेलवे आयव्यय लेखा है । एक शताब्दी के कर-भार से विशेषकर वर्तमान वर्षों के बढ़े हुए कर भार से सारे राष्ट्र का नैतिक बल टूट चुका है । साधारण व्यक्ति दरिद्रता, भूख तथा सतत भुखमरी में फंसा हुआ है । संघ आयव्यय लेखा में स्वीकार किया गया है कि प्रत्यक्ष करारोप की अन्तिम सीमा पहुंच चुकी है । १९४९ से किराया दुगना कर दिया गया है । रेलवे विभाग सुरक्षा के लिये तथा जनता की सुविधा के लिये नितान्त आवश्यक है । अतः या तो यह अत्यन्त जीर्ण शीर्ण है या सफल है । प्रत्येक दशा में इस का अस्तित्व तो रखना ही पड़ेगा । वास्तविक प्रश्न तो यह है कि कौन इस के संचालन का उत्तरदायी है —वर्तमान मन्त्रिमण्डल या पुराना मंत्रिमंडल या विभाग तथा उस के अधिकारी जो कार्य संचालन करते हैं या यह सभी जनता की दृष्टि में अपराधी हैं । तीसरे दर्जे के यात्रियों के कष्टों का विवरण देना व्यर्थ है क्योंकि यह बेहया प्रशासन बहुत शान्तिपूर्वक उन का श्रवण करता है तथा कभी कभी तो हंसता भी रहता है । यह अत्यन्त दुःखद कहानी है । अधिकारी समुदाय के भ्रष्टाचार के कारण यह देश बरबादी तथा यातनाओं की चरम-सीमा को पहुंच गया है यदि वे अपने को नहीं सुधारते हैं तो भी कोई रास्ता देश के लिये इस स्थिति से बाहर आने का होना चाहिये । चूहे और मेंढ़क की कथा के अनुसार रेलवे विभाग की स्थिति एक चूहे जैसी है तथा केन्द्रीय आयव्यय लेखा ऐसा है जैसे मेंढक जैसे दोनों को रस्सी से बांध देने पर दोनों एक उठते या गिरते हैं उसी तरह इन दोनों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर दिया गया है तथा दोनों ने एक दूसरे को खराब कर दिया है । तथा कथित नियोजित पंजी का ४ प्रतिशत

क्यों लिया जाता है ? वास्तव में ये ४ प्रतिशत यात्री से प्राप्त किया जाता है।

इस के बाद दूसरा मुख्य प्रश्न संचित कोष का है जिस के लिये प्रतिवर्ष १५ करोड़ रुपया लिया जाता है। यह सारे कोष मिल कर ४० करोड़ हो जाते हैं। यह रुपया यात्री से लिया जाता है पर इस का उपयोग सामान्य आयव्यय लेखा संतुलित करने के लिये किया जाता है। आप आसाम को जोड़ने वाली लाइन की प्रशंसा में आसमान उठा लेते हैं। आप कहते हैं कि विश्व धनागार ने विकास तथा पुनर्निर्माण कार्य के लिये ३४ मिलयन डालर का अनुदान दिया है। यात्रियों के तथा माल भेजने के किराये दुगने कर दिये गये हैं फिर भी आप कहते हैं कि अन्य देशों की तुलना में यह कम हैं। संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां रेल का विभाग प्रतिवर्ष इतना संचित कोष अलग कर के रखता हो जितना भारत का रेलवे विभाग और यह सारा धन वित्त मंत्री को केन्द्रीय आय व्यय लेखा के संतुलन के लिये दे दिया जाता है।

संघ आयव्यय लेखा के समान रेलवे आयव्यय लेखा की भी तीन कठिनाइयां हैं। एक तो यह कि स्वतन्त्रता के बाद से विकास की एक स्वाभाविक भावना जाग्रत हुई है। तथा केन्द्रीय आयव्यय लेखा तथा रेलवे आयव्यय लेखा में बहुत बड़े विनियोग की योजना बनाई गई। बाद में उन को अनुभव हुआ कि खर्चा बहुत अधिक पड़ रहा है तथा वे इन योजनाओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। तीसरी कठिनाई अनुदानों में कटौती करने पर उन योजनाओं को फेर लेने की है।

कल माननीय मंत्री ने कहा था कि दक्षिण की उपेक्षा की गई है। आप ने वास्तव में दक्षिण की उपेक्षा की है। अब मद्रास आप के लिये ऐसा ही रहा है जैसे सांड के लिये लाल वस्त्र। जो कुछ कांग्रेस का प्रभाव जनता पर है आप को चाहिये आप उस की रक्षा करें अन्यथा आप की मृत्यु हो जायगी।

मेरे माननीय मित्र, मंत्री ने कहा था कि धन नहीं है। आप ने कुछ धन दक्षिण से प्राप्त किया उस को आप ने उत्तर में नष्ट कर दिया तथा उड़ा डाला। आप को चाहिये था कि उस का एक अनुपातिक भाग दक्षिण में व्यय करते।

आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आपने यात्रियों का किराया अत्याधिक बढ़ा दिया है। आप अन्य देशों से तुलना करते हैं जहां राष्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति आय कहीं अधिक है। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय शून्य तथा शून्य से भी कम हो गई है। इस लिये अन्य देशों से तुलना करना ठीक नहीं है। इस वर्ष या गत वर्षों में आय में कमी क्यों हो गई है। १९५०-५१ से बराबर यात्रियों की संख्या में ह्रास हो रहा है। इस का कारण किरायों की वृद्धि है। माननीय मंत्री का कहना है कि कृषि तथा अच्छी फसल होने से यह कमी पूरी हो जायेगी। आप जीवन भर दस वर्ष पहले की सम्पन्न कृषि का दर्शन नहीं कर सकते हैं। वास्तव में जब तक वर्तमान शासन रहेगा हर वस्तु दुर्लभ होती जायगी। १५ वर्ष की दरिद्रता तथा सूखा एक घन्टे में नहीं जा सकता। यह सारी चीज़ें अभी दस वर्ष तक चलेंगी। इसलिये कृषि या चावल के उत्पादन के जापानी रीति का भरोसा न कीजिये।

डा० लंका सुन्दरम् : संश्लिष्ट चावल के लिये आपका क्या कहना है ?

श्री वल्लाथ रास : मनुष्य संश्लिष्ट हो सकते हैं तथा उत्पादन भी। वास्तव में आय का यह ह्रास इसलिये हुआ है कि किराया बढ़ा कर जो कर वृद्धि किया गया है उस का प्रभाव धनी आदमियों पर नहीं पड़ता है। यह लोग तीरे दर्जे में यात्रा करने

[श्री वल्लाथरास]

लगे हैं परन्तु गरीब आदमी कहां जाय। यदि कोई चौथा या पांचवां दर्जा होता तो शायद वह उसी में यात्रा करता। देश की यह एक सामान्य मनोवृत्ति है कि हर व्यक्ति यात्रा के व्यय को कम करना चाहता है। पुदुकोटै से दिल्ली आने के लिये मुझे तीसरे दर्जे में यात्रा करने पर ५०) रु० व्यय करने पड़ते हैं। संसद का सदस्य हो कर भी मैं इस योग्य नहीं हूं कि ड्यौढ़े दर्जे में यात्रा कर सकूं। इस का कारण यह है कि हम को अपने बीबी बच्चों को भी साथ लाना पड़ता है। पहले यही किराया केवल १७) या १८) था। जब मेरा यह हाल है जो संसद् का सदस्य है तो साधारण व्यक्तियों का तो कहना ही क्या है। दक्षिण के लोगों का काशी स्नान के लिये यात्रा करना कम हो गया है। इसी प्रकार उत्तर के व्यक्तियों का रामेश्वरम की यात्रा करना कम हो गया है। इसका परिणाम है कि लोगों में यात्रा करने का साहस नहीं रहा है। इसलिये रेल विभाग को चाहिये कि वह कम व्यय कर के, कुशलपूर्वक तथा ईमानदारी से अपने कार्य का संचालन करे।

अन्त में मैं भ्रष्टाचार की ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा। इस में कोई सन्देह नहीं कि भ्रष्टाचार विरोधी यंत्र मौजूद है। परन्तु इस देश में भ्रष्टाचार तो एक अत्यन्त बारीक, सुन्दर तथा वैज्ञानिक रूप से बुना जाने वाला वस्त्र है। भ्रष्टाचार इस देश में सर्वत्र विद्यमान है तथा अधिकारी वर्ग का कोई अंश इस से मुक्त नहीं है। आपने गत नौ महीने में भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिये क्या प्रयास किया है। जन लेखा समिति, आगणन समिति तथा महालेखेक्षक तीनों के प्रतिवेदन अनियमितताओं की शिकायत करते हैं तथा संसद् में जो खुले रूप से विचार किया गया है उस से भी यही परिणाम निकलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं केवल एक सदस्य को और बोलने की आज्ञा दूंगा क्योंकि वे अभी तक बोले नहीं हैं।

श्री गणपति राम (जिला जौनपुर–पूर्व–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : इस सदन में माननीय सदस्यों को कई बार अपनी तरफ से मंत्री महोदय और रेलवे विभाग को धन्यवाद देने का मौका मिल सकता है, लेकिन जिन सदस्यों को इस सत्र में और इस से पहले के सैशन में भी बोलने का मौका नहीं मिला क्या उन को अधिकार नहीं है कि वह अपनी निर्वाचन क्षेत्र की दिक्कतें मंत्री जी के सामने रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक माननीय सदस्य का सम्बन्ध है वे चाहते थे कि मैं उन का नाम बोलने वालों की तालिका में सम्मिलित करूं। अभी तक जिस पद्धति का हम अनुकरण करा रहे हैं उस के अनुसार हर दल अपना अधिवक्ता छांट लेता है। यदि कोई दल अपना अधिवक्ता न चुने तो मैं उस का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। मेरी सलाह है कि वह अपने दल के सचेतक से कहें और अपना नाम सम्मिलित करा लेवें।

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर दतिया-टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं सर्वप्रथम आप को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पिछले साल के बजट के अवसर पर भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था अब आप ने एक छोटा सा मौका दिया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बजट को संतुलित ही नहीं किया बल्कि ९ करोड़ से ऊपर की बचत भी दिखाई। परन्तु मैं एक ऐसे प्रदेश से आया हूं जिस का नाम विंध्य प्रदेश है विंध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहा न रेलें हैं न सड़कें हैं और न यातायात का

और ही कोई साधन है। इस सदन में बोलने वाले बहुत से सज्जनों ने बहुत सी बातें कही हैं, रेल के डब्बे अच्छे नहीं हैं, किसी ने कहा है कि रेल की गद्दियां अच्छी नहीं हैं, किसी ने कहा कि रेल के दरवाजे अच्छे नहीं हैं लेकिन मैं आप से इस की प्रार्थना नहीं करना चाहता, मैं तो केवल यह चाहता हूं कि जहां भी जो चीजें अच्छी न हों वह विंध्य प्रदेश को दे दी जायें क्योंकि विंध्य प्रदेश में अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की रेलें नहीं हैं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

विंध्य प्रदेश में तो आंखों के तले ही अन्धेरा है। यह प्रदेश भारतवर्ष के बीच में होते हुए भी ऐसा है कि हर चीज में पीछे पड़ा हुआ है। इस में न कोई यातायात के साधन हैं, न रेलें हैं और न कोई बस सर्विस ही १००, १००, ८०, ८० मील के अन्दर है। इसलिये पहिले तो माननीय मंत्री जी से मेरी यह शिकायत है कि जब पिछले साल समयाभाव के कारण समय न मिल सका तो मैं ने विंध्य प्रदेश के सम्बन्ध में एक लिखित योजना उन को दी थी। उस योजना के लिये उन्हों ने मुझ से यह कहा था कि वह उस पर अगले बजट पर विचार करेगें। आपने बहुत सी नई रेलों का निर्माण किया है और बहुत सी विचाराधीन भी हैं। आपने अपने भाषण में दिवा दास गांव लाइन पश्चिमी बंगाल में बिजली से चलने वाली लाइन मद्रास और उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी बंगाल लाइनों का जब जिक्र किया लेकिन आप ने विंध्य प्रदेश का नाम भी नहीं लिया। मैं ने जो लिखित योजना विंध्य प्रदेश के बारे में दी थी शायद उसे माननीय मंत्री जी भूल गये हैं, मैं तो नहीं भूला हूं लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद विंध्य प्रदेश की लाइनों पर वे भविष्य में विचार करेंगे। लेकिन उस योजना को उस बजट में स्थान भी नहीं प्राप्त हुआ इसलिये मैं अपने विचार प्रकट करना उचित समझता हूं।

शायद आप विंध्य प्रदेश को पर्दा नशीन औरत की तरह समझते हैं। जिस प्रकार पर्दानशीन औरत के स्वभाव, उस के गुण और उस के अंग नहीं दिखाई देते उसी प्रकार विंध्य प्रदेश के गुण और अंग आप को दिखाई नहीं देते। भूतत्व परीक्षण मंडली की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रदेश सभी प्रकार के खनिज पदार्थों से भरा पूरा है। यहां अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, फेल्सपार, स्फटिक, चुम्बकीय, लोहा, अलमूनियम धातु, हरसोठ, तांबा, चूने का पत्थर रामरज, गेरू, छुई, अभ्रक, हीरा, लोहे की धातु, सफेदा धातु तूफा, बलुआ पत्थर, शीशा बनाने की बालू, बर्तन बनाने वाली मिट्टी अथवा चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह तो श्रीमान जी विंध्य प्रदेश की रिपोर्ट है, एक सब से बड़ी बात वहां पर कोयले की है। आज हिन्दुस्तान में दूसरे दर्जे का कोयला सिवा विंध्य प्रदेश के और कहीं नहीं पाया जाता। वहां पर जो सिंगरौली तहसील सींधी जिले में है उस में ९०० वर्ग मील एरिया में कोयला है लेकिन वहां रेल न होने के कारण यातायात न होने के कारण १००, १००, २००, २०० मील के ईर्द गिर्द कोई रेल न होने के कारण यह कोयला बेकार पड़ा है। अगर आप वहां रेलें ले जायें तो आप को कोयला भी मिल जायगा और वहां के गरीब लोगों का काम भी भविष्य में चल जायेगा। मैं ने आप को यह आंकड़े विंध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की रिपोर्ट से दिये हैं।

४ म० प०

और सोहागपुर में बारह सौ वर्ग मील और जोहिला में ९५ सौ वर्ग मील में कोयला है। उमरिया और जोहिला में तो रेल पहुंच गयी है लेकिन सिंगरोली में जहां ९०० वर्ग मील कोयला है रेल के न होने के कारण

[श्री आर० एस० तिवारी]

बहुत परेशानी है। वहां पर चूने का इतना बड़ा क्षेत्र है जो कि ४५०० वर्गमील में है। इतना बड़ा एरिया होते हुए भी वहां रेल नहीं है। दूसरे तिरपरा में ८७९५ एकड़ भूमि में कुरन्द पाया जाता है मांडेर में चूने का पत्थर पाया जाता है । लेकिन वहां रेल न होने के कारण वह मिट्टी की तरह पड़ा हुआ है। इसलिये श्रीमान जी मेरी यह प्रार्थना है कि इस तरफ के लिए रेल बनाने के सम्बन्ध में अवश्य ध्यान दिया जाय।

इस के अतिरिक्त विंध्यप्रदेश के छतरपुर टीकमगढ़ और पन्ना जिलों में जहां हीरा निकलता है वहां इन जिलों में भी रेल नहीं है। उन से सौ सौ मील की दूरी पर से रेल निकलती है। यहां कोई रेल नहीं है। इधर भी आप अवश्य ध्यान दें। अनेक सज्जनों ने मांग की कि गाड़ियां बढ़ायी जायें और कुछ ने मांग की कि उन का मिलने का समय ठीक किया जाय। लेकिन यहां के लिए तो ? मैं यही मांग करता हूं कि यहां रेल की पटरी डाली जाय। पन्ना में हीरा की खान होते हुए भी वहां रेल नहीं है। वहां पुराने ढंग से हीरा निकाला जाता है। वहां हीरा का एरिया ४० वर्ग मील है । वहां से रेल ४५ मील की दूरी पर है । इसलिए वहां हीरा निकालने के कोई नये औजार, हथियार काम में नहीं लाय जाते । इसी प्रकार से वहां बिजावर का इलाका है जो छतरपुर जिले में है जहां २२ मील लम्बा पहाड़ है जहां लोहा बनाने का पत्थर मिलता है । वहां पुराने ढंग से कुछ लोहा बनता भी है । अगर सरकार वहां नये ढंग से फैक्टरी द्वारा लोहा बनाना स्वीकार कर ले तो मैं समझता हूं कि सारे भारतवर्ष की रेलों के लिए वहां से लोहा मिल सकता है और आप का और गरीब लोगों का काम चल सकता है। विंध्य प्रदेश ३५ छोटी बड़ी रियासतों को मिला कर बनाया गया है जिसमें से ३४ रियासतें बुन्देल खंड की हैं और एक रीवां बुन्देलखंड की है । पहले यह प्रदेश इन छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था । इस का पता नहीं था कि वहां कितनी आमदनी हो सकती थी । राजा लोगों ने इस प्रदेश की कोई उन्नति नहीं की वह अपने भोगविलास में लगे रहते थे । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान दें । अगर आप इस ओर ध्यान देंगे तो आप को जितना खनिज पदार्थों का उत्पादन चाहिए उतना मिल सकता है और यह देश समृद्धिशाली हो सकता है और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वह वैसा ही पिछड़ा हुआ रहेगा जैसा कि राजाओं के जमाने में था । मैं ने आप को यहां के लिए रेलवे की योजना तो पारसाल दी थी शायद वह आप के दफ्तर में पड़ी होगी। मैं चाहता हूं कि ललितपुर से या झांसी या हरपालपुर से नौगांव, छतरपुर होती हुई पन्ना सतना को मिलाये और वहां से राजधानी रीवां होती हुई सिंगरोली को मिला दें ताकि उस खदान के पास तक रेल पहुंच जाय । यहां ९०० वर्गमील की कोयले की खदान है । इस को अभी तक छुआ नहीं जाता ।

इस के अतिरिक्त मैं आप से अर्ज करूंगा कि हम अपने यहां पत्थर की वस्तुएं और चक्कियां बना कर सतना के स्टेशन से बिकने के लिए भेजते हैं। पन्ना में उसी तरह का पत्थर होता है जैसा कि राजस्थान में । वहां यातायात न होने के कारण हम वहां के पत्थरों की चक्कियां तथा अन्य वस्तुएं बाहर नहीं भेज सकते । इसलिए मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरफ ध्यान दें। रेलवे की योजना तो मैं ने आप को पूरी दे ही दी है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मंत्री जी ने कल अपने वक्तव्य में बतलाया था

कि भ्रष्टाचार को दूर करना कठिन सा है। मैं भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करना कठिन है, नहीं तो आज से बहुत पहले इस को दूर कर दिया गया होता। लेकिन फिर भी मैं आप से सहमत नहीं हूं कि कोशिश करने पर वह दूर नहीं हो सकता है। आपने जो उच्च वर्ग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहा कि वे लोग कहते हैं कि सब पर अविश्वास किया जाता है ऐसी दशा में नौकरी असम्भव है। तो उस सम्बन्ध में मुझे यही प्रार्थना करनी है कि वही ऊंचे अफसर इस काम को सुधारें और वह भी अपने को स्वतन्त्र भारत का अंग समझें। वह स्वतन्त्र भारत से अलग नहीं हैं। जो लोग पार्लियामेंट में चुन कर आये हैं उनमें और उन अफसरों में कोई भेद नहीं है वह भी उन्हीं के बराबर हैं। अगर वह तनख्वाह पाते हैं तो इसलिए कि वह २४ घंटे काम करते हैं। और जो काम करता है वह भोजन को किसी न किसी रूप में लेता ही है। इस से कोई किसी में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरी उन से चेतना के साथ प्रार्थना है कि इस काम में भरसक कोशिश करें। वह भी जब रिटायर होंगे तो उन को पार्लियामेंट में मेम्बर होकर आने का अधिकार है और योग्यतानुसार वह मंत्री भी हो सकते हैं। गुलाम देश के नौकर नहीं हैं वह स्वतन्त्र देश के मुलाजिम हैं वह गुलाम नहीं हैं। उन को अपनी यह धारणा बनानी चाहिए और इसी धारणा से देश का उद्धार हो सकता है। दूसरी चीज उन को यह भी समझना चाहिए कि अगर वह इस भ्रष्टाचार को कायम रखेंगे तो जो उन की सन्तान होगी वह भी इस को अपनाती चली जायगी और इस तरह भारत का उत्थान असम्भव है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा मुलाजिमों से और बड़े अफसरों से कि इस ओर वह ध्यान दें और अपने कर्तव्य को पूरा करें और आलोचना का बुरा न मानें। उन को केवल आगाह किया जाता है ताकि वह उन्नति की ओर आगे बढ़ें। अस्तु मेरी आप के जरिये रेलवे मंत्री जी से यह करबद्ध प्रार्थना है कि विंध्य प्रदेश की बाबत ध्यान दें और वहां रेलवे बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करें।

श्री एल० बी० शास्त्री: मेरे पास अधिक समय नहीं है। इसलिये मैं केवल थोड़े से विषय चुन लूंगा जिन पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

श्री विट्ठल राव ने एन० एस० रेलवे के सम्बन्ध में अधिनिर्णेता के निर्णय के कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में कहा है। स्थिति का निरीक्षण किया गया है और पता लगा है कि, एक अत्यन्त अल्प संख्या को छोड़ कर, अधिनिर्णेता के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित समस्त अतिरिक्त कर्मचारीवृन्द कार्य में लगे हुए हैं तथा ३१ मार्च १९५३ तक यह निर्णय पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया जायगा।

अवकाशार्थ अधिरक्षित कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी मैं यही कहना चाहूंगा। केवल स्टेशन मास्टरों के सम्बन्ध में उस समय तक कठिनाई होगी जब तक भर्ती किये गये व्यक्तियों की शिक्षा समाप्त नहीं होती है।

उन्हों ने सम्मेलन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी कुछ कहा है। उन का कहना है कि बारसी लाईट रेलवे के लिये जो भुगतान किया गया है उस को विकास कोष पर अधिरोपित नहीं करना चाहिए था। यह निर्णय किया जा चुका है कि यदि क्रय मूल्य के लाभ से ज्ञात हो कि वह अपीलोषणीय है अर्थात यदि विनियोग से लाभ ४२५ प्रतिशत से कम हो तो दायित्वरोप विकास कोष पर होना चाहिये आशा की जाती है कि बारसी लाइट रेलवे अपरितोषणीय होगी, इसीलिये क्रय मूल्य विकास कोष पर अधिरोपित किया गया है।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

श्री एन्थनी ने कई बातें कही ह । मैं इस अवसर पर उन के द्वारा कही गई सभी बातों का उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु मुझे बताया गया है कि उन्हों ने रेलवे बोर्ड को उन में से अनेक बातों के सम्बन्ध में लिखा है। मेरा विचार है कि उन्हों ने यहां पर कुछ नई बातें कही हैं । मैं निसन्देह उन का और अधिक परीक्षण कराऊंगा तथा उन को इस सम्बन्ध में सूचित करूंगा । परन्तु दो तीन बातों के सम्बन्ध में, जो उन्हों ने कही हैं तथा जिन को मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, मैं कुछ शब्द कहूंगा । उन्होंने चुनाव पर्षदों की ओर निर्देष किया है तथा उन के सुधार के अनेक सुझाव दिये हैं, जैसे एक सप्ताह के अन्दर परीक्षा फलों का प्रकाशन, परीक्षाओं को नरम बनाना इत्यादि । मैं उन के सुझावों का स्वागत करता हूं और जैसा मैं अपने व्याख्यान में कह चुका हूं, चुनाव पर्षदों की प्रक्रिया के सुधार करने का प्रश्न विचाराधीन है तथा माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर निश्चय ही उचित रूप से ध्यान दिया जायगा।

इस के पश्चात् उन्हों ने कहा कि उच्चता समिति का कार्य समाप्त करने में शीघ्रता से काम लिया जाय । इस सम्बन्ध में मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं तथा यह विषय हमारे विचाराधीन है तथा कार्य को शीघ्र समाप्त करने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है। मैं उन को ठीक से नहीं बता सकता कि इस में कितना समय लगेगा परन्तु हम छै से लेकर आठ महीने में यह कार्य समाप्त कर देंगे।

श्री एन्थनी ने कर्मचारियों को दीर्घकाल तक काम करने से रोक कर अस्थिर दशा में रखने से उत्पन्न होने वाली कठिनाई की ओर भी निर्देश किया है । मैं स्वयं उन की इस कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता का अनुभव करता हूं परंतु कठिनाई तब उत्पन्न हो जाती है जब मामला न्यायालय में भेज दिया जाता है। जैसे ही कोई मामला न्यायालय में भेजा जाता है तुरन्त उस मामले से सम्बन्धित कर्मचारी को काम करने से रोक दिया जाता है तथा जब तक न्यायालय से उस मामले का निपटारा नहीं हो जाता सम्बन्धित व्यक्ति को अस्थिर दशा में रहना पड़ता है ।

श्री ऐन्थनी ने स्थानापत्रिक भत्ते के प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में रेलवे के डिवीज़नों में असमानता की ओर भी निर्देश किया है। विभिन्न रेलों के नियमों की असमानता की ओर हमारा ध्यान गया है तथा प्रक्रिया को समान बनाने की कार्यवाई की जा रही है।

मैसूर के श्री गौडा ने मैसूर के भूतपूर्व राज्य सेवा युक्तों का प्रश्न उठाया है । मैं उन को सूचित करना चाहता हूं कि कुछ भूतपूर्व राज्य रेलों के कर्मचारियों का प्रश्न मेरे विचाराधीन है तथा मैसूर भी उन में से एक है । मैं सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले पर भी मैं उचित रूप से ध्यान दूंगा ।

श्री रामनगीना सिंह ने चितबड़ागांव के सम्बन्ध में कुछ कहा है। मुझे तो केवल उन के उस स्पष्ट कथन से मतलब है कि इस स्टेशन के कर्मचारी वैगन प्रदाय करने के लिये बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम इस की विशेष रूप से जांच करायेंगे तथा मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी इस सम्बन्ध में अपनी सहायता तथा सहयोग प्रदान करेंगे ।

विभिन्न स्टेशनों में सुधार करने, सुविधाओं का प्रबन्ध करने तथा नई लाइनें निर्माण करने के सम्बन्ध में अनेकों सुझाव दिये गये हैं । यहां उन के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है परन्तु मैं निश्चय रूप से उन पर विचार करूंगा तथा सुविधाओं तथा सुधारों के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कर सकता हूं करने का प्रयत्न करूंगा ।

मैं बिहार की बी० बी० रेलवे के सम्बन्ध में कुछ शब्द कह दूं। बिहार सरकार द्वारा यह विषय हमारे सामने लाया गया है। इस रेलवे को अपने आधीन लेने का विचार नहीं है परन्तु मैं ने रेलवे बोर्ड के सभापति से कहा है, जो जल्दी ही बिहार जाने वाले हैं, कि वह बिहार सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करें।

अनुसूचित जातियों के दो तीन सदस्यों ने रेलवे में अनुसूचित जातियों की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ कहा है। सरकार सरकारी नौकरियों में उन की स्थिति से भली भांति परिचित है तथा सरकार उन की प्रतिशतता में वृद्धि कराने के लिये सभी व्यवहारिक उपाय कर रही है। मैं अनुसूचित जातीय भाइयों की विशेष कठिनाईयों से परिचित हूं तथा मैं इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कर सकता हूं करना चाहता हूं। मैं विचार कर रहा हूं कि मैं उनके लिये क्या कर सकता हूं विशेष कर रेलवे प्रशासन के सम्बन्ध में एक सुझाव दिया गया था कि अनुसूचित जाति का एक सदस्य रेलवे आयोग में नियुक्त कर दिया जाय। मैं इस सुझाव की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिये तय्यार हूं।

मजदूरों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं तथा गृहव्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं उन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं जानता हूं कि हमें मजदूरों के लिये बहुत कुछ करना है परन्तु यदि सदन मुझे आज्ञा दे तो मैं संक्षेप में बता दूं कि हम मजदूरों के लिये क्या कर रहे हैं। हम नये क्वार्टर बनाने में पुरानों की मरम्मत कराने में ३·६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष व्यय कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं पर ३ करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय कर रहे हैं। हम शिक्षा की सुविधाओं पर लगभग ६० लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय कर रहे हैं। हम खेल इत्यादि के कर्मचारी लाभार्थ कोष में लगभग १० लाख रुपया प्रतिवर्ष दे रहे हैं तथा लगभग ५०० क्लब तथा इंस्टीट्यूट हैं जिन के भवनों तथा प्रारम्भिक सामग्रियों का प्रबन्ध रेलों द्वारा किया जाता है। हमारे पास जितना कोष है निश्चय रूप से उस की सीमा के अन्दर हम और भी बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे।

डा० लंका सुन्दरम् ने आल इंडिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन की मान्यता का प्रश्न उठाया है। उन्हों ने कहा कि इस सम्बन्ध में हमारी नीति परस्पर विरोधी है तथा कदाचित् उन्हों ने उदाहरण के रूप में द्वितीय वर्गीय अधिकारी संघ की मान्यता का उल्लेख किया था। घोषित अधिकारियों को एसोसियेशनों तथा अघोषित कर्मचारियों की यूनियनों की मान्यता का आधार सर्वथा भिन्न है तथा भिन्न प्रकार के नियमों के अनुसार उन को मान्यता प्रदान की जाती है। घोषित अधिकारी यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रखते हैं तथा उन की ऐसोसियेशन को मान्यता देने से उन को अभिवेदन करने के अतिरिक्त और कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

श्री नम्बियार ने श्लीरेन संविदा के सम्बन्ध में गबन का आरोप पुनः लगाया है यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं कह सकता हूं कि श्री नम्बियार तथ्यों के मिथ्या वर्णन करने के लिये विशेष परिश्रम करते हैं। यदि वह मुझे आज्ञा दें तो मैं एक सूचना उद्धृत करूंगा जो एक तामिल समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। माननीय सदस्य ने दक्षिणी रेलवे यूनियन की मान्यता के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये हैं। उत्तर उपमंत्री द्वारा दिया गया था। उस उत्तर को तामिल समाचार पत्र थोज़्हीलारासू में उद्धृत किया गया है (श्री शास्त्री ने उस उद्धरण के नीचे की तामिल भाषा पढ़कर सुनाई) हिन्दी में उस का भावार्थ है कि रेलवे मंत्री ने कामरेड नम्बियार

[श्री एल० बी० शास्त्री]

को आश्वासन दिया है कि लेबर यूनियन की मान्यता के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है तथा उपर्युक्त सरकार का निर्णय लेबर यूनियन की राह में रोड़ा नहीं बनेगा। मैं यहीं पर उन के सामने इस का प्रतिवाद नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह शुद्ध नहीं है तथा उन के और मेरे मध्य इस सम्बन्ध में कोई भी वार्ता नहीं हुई है।

मैं ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि संविदा के अपने दोष हैं। मैं ने यह कभी नहीं कहा। यदि वह जनलेखा समिति का प्रतिवेदन पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं ने कहा वह सर्वथा सत्य प्रतीत होगा। जन लेखा समिति ने जो कहा है वह संविदा के निबन्धनों तथा उस के दोषों के सम्बन्ध में है। वे 'गबन' शब्द का प्रयोग कर सकते थे। जन लेखा समिति को उस शब्द से कोई चिढ़ नहीं थी। परन्तु उन्हों ने एक बार भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। वास्तव में, मैं जानता हूं कि वे इस सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट हैं।

मुझे नाम तो याद नहीं है परन्तु श्री नम्बियार ने एक विशेष मामले की ओर निर्देश किया था कि आकस्मिक मज़दूरों को आकस्मिक बनाये रखने के लिये दो दिन के लिये उन को काम पर से अलग कर दिया जाता है। मैं केवल इतना ही उन से कह सकता हूं कि यह कार्य इस विषय के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों के विशिष्ट रूप से विरुद्ध है। हम उस मामले की जांच करेंगे जिस की ओर उन्हों ने निर्देश किया है। उन्हों ने तदर्थ अधिकरण के सम्बन्ध में भी कहा है। अभी तक अधिकरण की रचना नहीं हुई है तथा अधिकरण की वास्तविक रचना तथा उस को निर्दिष्ट किये जाने वाले विषयों पर अभी विचार किया जा रहा है। जहां तक मैं समझ सका हूं उस अधिकरण में ऐसी यूनियनों को सम्मिलित करना संभव न होगा जो इन दो फिडरेशनों से सम्बद्ध नहीं हैं।

विशेष बात जो उन्हों ने कही वह यूनियनों की मान्यता के सम्बन्ध में थी, विशेषकर दक्षिणी रेलवे यूनियन के सम्बध में। यूनियनों की मान्यता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इस में कोई सन्देह नहीं कि बहुत वार्ता तथा सोच विचार के बाद रेलवे तथा मज़दूर एक सन्तोषजनक क्रियाविधि पर पहुंच गये हैं। जहां तक मैं समझ सका हूं यह क्रिया विधि रेलवे तथा मज़दूर दोनों के हित में है। बुनियादी बात यह है रेलवे बोर्ड केवल अखिल भारतीय संस्थाओं से तथा उन यूनियनों से जो इन से सम्बद्ध हैं व्योहार रक्खेगी। कुछ मामलों में इस नियम का अपवाद पाया जाता है क्योंकि मान्यता बहुत समय हुआ तब दी जा चुकी थी। डा० लंका सुन्दरम् ने कुछ यूनियनों के सम्बन्ध में कहा है जिन को मान्यता दी गई है। मैं उन को बताना चाहता हूं कि एक मामला ऐसा है जिस में मान्यता २५ या ३० वर्ष पूर्व दी गई थी उन को दी गई मान्यता को वापस लेना मेरे लिये कठिन है जब तक उन के सम्बन्ध की हर बात का भली भांति परीक्षण न कर लिया जाय। फिर हमारा प्रयत्न इस सम्बन्ध में जहां तक संभव हो एक-रूपता उत्पन्न करने का है। श्री वेंकटारमन ने ठीक ही कहा है कि सेक्शनवार यूनियनों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये मैं उन से पूर्णतः सहमत हूं। मैं डा० लंका सुन्दरम् से इस उचित नियम को स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा तथा मिनिस्टरीयल कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करें। उन की अपनी यूनियन की मान्यता के सम्बन्ध में

श्री नम्बियार को शिकायत तो अधिकतर मज़दूर क्षेत्र के अपने सहकर्मियों से होनी चाहिये न कि मुझ से। माननीय सदस्य ने मुझ पर राजनैतिक पक्षपात का आरोप लगाया है। मुझे खेद है कि मुझे भी उन पर यही आरोप लगाना है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि उन के तथा उन के साथियों के व्याख्यानों तथा लेखों पर विचार करे। यह सभी राज्यनीति से ओतप्रोत है जैसे वह कोई मंच बना रहे हों मज़दूरों के हित के लिये संघर्ष करने के लिये नहीं वरन्, इस सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिये मैं कहना चाहता हूं कि यह उचित नहीं है। वास्तव में कभी कभी तो मुझे इस यूनियन के रेल कर्मचारियों के व्याख्यान देख कर बड़ा आश्चर्य होता है मैं यहां उन को उद्धृत नहीं करूंगा। इस में सदन का बहुत समय व्यय होगा। परन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह कर्मचारी अपना कार्य कभी सन्तोषपूर्वक कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि श्री नम्बियार तथा उनके मित्रों को दूसरे दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिये। वह मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कहूं कि उन्हों ने तथा उन के साथियों ने देश की परिस्थिति का शुद्ध अवलोकन नहीं किया है और यही कारण है कि वे बहुधा असफल रहे हैं तथा स्थिरता से काम करने में असमर्थ रहे हैं। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि विदेश की वर्तमान परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करें और देखें कि उस चित्र में रेलवे मज़दूर का क्या स्थान है। तभी वह ठीक परिस्थिति का अन्दाजा कर सकेंगे तथा एक शुद्ध मज़दूर नीति की रचना कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अभियाचना संख्या १, ४ तथा ६ पर जो प्रस्ताव विशेष रूप से प्रस्तुत किये गये हैं उन के अतिरिक्त जितने भी कटौती प्रस्ताव रक्खे गये हैं मैं उन सब को प्रस्तुत किया हुआ मान लूंगा।

मुझे परामर्श दिया गया है कि इस बात पर सब का मत एक है कि कटौती प्रस्ताव संख्या २५० सदन में रक्खा जावे तथा सदन का विभाजन करा लिया जावे। कटौती प्रस्ताव संख्या २५० के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि जब कटौती प्रस्ताव सांकेतिक कटौती का हो तो उस को एक ही शिकायत तक सीमित रखना चाहिये।

जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि तीन प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। एक में प्रदाय दिये जाने से ही मना कर दिया जाता है जिस में सारी धन राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाता है। इस का अर्थ है कि व्यक्तिगत शिकायतों पर वार्ता न हो। उस विशेष अभियाचना से सम्बन्ध रखने वाली नीति तथा प्रशासन कार्यों पर वार्ता होनी चाहिये। जब बचत सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव होते हैं तो ठीक ठीक धन राशि जैसे ५०,००० या १,००,००० का उल्लेख किया जाता है। तीसरा सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव इसलिये होता है कि व्यक्तिगत शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जावे। ऐसे. कटौती प्रस्ताव का विषय एक से अधिक शिकायत नहीं हो सकती क्योंकि एक माननीय सदस्य द्वारा रक्खे जाने जाले कटौती प्रस्तावों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। उन को केवल ऐसे प्रस्तावों को तोड़ कर कई प्रस्ताव बना देना है। मैं उन माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा जिन के नाम से यह कटौती प्रस्ताव है अर्थात् दामोदर मेनन से कि वह इस कटौती प्रस्ताव को किसी एक शिकायत तक सीमित कर दें।

श्री नम्बियार : मुझे एक निवेदन करना है। इस का सम्बन्ध रेलवे बोर्ड से है। हम रेलवे बोर्ड की कमजोरियों पर वार्ता कर रहे हैं तो हम उस के अन्तर्गत सारी बातों पर वार्ता क्यों नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य का सुझाव है कि हम इस के बाद नियमों में परिवर्तन कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु उन नियमों के अनुसार जो अभी तक प्रचलित हैं, यह आवश्यक है कि ऐसे कटौती प्रस्ताव को कई प्रस्तावों में विभाजित कर दिया जाय। ऐसा किया जा सकता था। अब भी मैं इस प्रस्ताव को खतम नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ कहता हूं वह केवल इतना है कि इस को केवल एक शिकायत तक सीमित रक्खा जाय। अब मैं इस कटौती प्रस्ताव को सदन के सामने रखूंगा। प्रश्न यह है कि

"कि रेलवे बोर्ड के शीर्षक की मांग में १०० रु० की कटौती की जाय"

सदन विभाजित हुआ : पक्ष में ७४, विपक्ष में २५५

[विभाजन संख्या २] ४–३२ म० प०

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मांग संख्या १, ४ व ६ के अन्य सभी कटौती प्रस्तावों पर सदन का मत एक साथ लूंगा। इन कटौती प्रस्तावों में वे कटौती प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं जो कल रक्खे गये थे तथा वे कटौती प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं जो उन माननीय सदस्यों के नाम में हैं जिन्हों ने कटौती प्रस्तावों पर भाषण दिया था।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मांग संख्या १, ४ तथा ६ पर अलग अलग सदन का मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १६५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'रेलवे बोर्ड' के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से ३४,६१,००० रु० तक की राशि दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १६५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'सामान्य संचालन व्यय—प्रशासन' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से २६,७३,३१,००० रु० तक की राशि दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १६५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में "सामान्य संचालन व्यय—संचालक कर्मचारी वृन्द" के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से ४२,३३,८१,००० रु० तक की राशि दी जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक पांच बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सदन की बैठक पांच बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे**]**

१९५३-५४ का सामान्य आयव्ययक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं १६५३-५४ के सम्बन्ध में भारत सरकार के आगणित आय तथा व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करता हूं [**पुस्तकालय में रक्खा गया देखिये संख्या ४–ओ०–१ (७२५०)**]

उपलब्ध जानकारी के आधार पर विचार करने से तथा समग्र अवलोकन करने से जान पड़ता है कि जब गत मई में मैं ने इस सदन के सामने चालू वर्ष का आय व्यय लेखा प्रस्तुत किया था उस के पश्चात् जो नौ मास बीते हैं उस में देश की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ । सब बातों को देखते हुए मूल्य निचले स्तर में स्थिर रहे हैं, औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादन में वृद्धि हुई है साथ ही साथ भुगतान के संतुलन की स्थिति भी गत वर्ष की अपेक्षा किन्चित अधिक सुगम रही है।

अनुक्रमणिकांक अर्थात् थोक के दाम जो दिसम्बर १९५१ के अन्त में ४३२·१ बिन्दु पर था दिसम्बर १९५२ के अन्त तक घट कर ३७४.५ बिन्दु पर आ गया; ५७.७ बिन्दुओं की कमी हुई अर्थात् १३ प्रतिशत से कुछ अधिक। फिर भी वर्ष भर में मूल्यों के नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति समान नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों के सम्मोहन, प्रयोजनायुक्त आयात-निर्यात कर सम्बन्धी तथा मुद्रा सम्बन्धी नीति, तथा परिकल्पित अति व्यापार का अनिवार्य आकस्मिक विनाश—इन सब के कारण पहले ४ मास में मूल्यों में बड़ी तेजी से कमी हो गई। इस के कारण विक्रय-कर्ताओं के स्थान पर क्रय कर्ताओं का बाजार बन गया जिस के परिणामस्वरूप, संचित किये गये स्टाक, विशेष रूप से निर्यात व्यापार से सम्बन्धित, जहाज से उतारे जाने लगे, तथा मूल्य घट कर ऐसे स्तर पर पहुंच गये जो न तो स्थिर रहने वाले थे और न लाभदायक थे। आरम्भिक गिरावट के बाद मूल्यों ने सामान्य रूप से अपने पुराने स्तर की ओर चलना आरम्भ किया तथा सितम्बर के अन्त तक अनुक्रमणिकांक लगभग ७ प्रतिशत बढ़ गया। उस समय से मूल्य न्यूनाधिक स्थिर रहे हैं तथा मूल्यों के उतार चढ़ाव की सीमाएं संकुचित रही हैं। कच्चे माल के मूल्यों का अनुक्रमणिकांक भी दिसम्बर १९५१ के अन्तकाल की अपेक्षा लगभग २५ प्रतिशत कम है। खाद्यों के मूल्य भी, समग्र रूप से, स्थिर रहे हैं, यद्यपि वर्ष के मध्य में मूल्यों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, खाद्यान्नों का अनुक्रमणिकांक बढ़कर ४६७ बिन्दु तथा सब खाद्य वस्तुओं का ३७७·६ बिन्दु हो गया। तब से पर्याप्त उतार हुआ है तथा जनवरी के मध्य तक अनुक्रम-णिकांक घट कर ३५५·६ बिन्दु रह गया।

खाद्य स्थिति भी गत वर्ष की अपेक्षा अधिक सुगम रही लगभग १९५२ के आरम्भ से स्टाकों की स्थिति में विशेष सुधार हो गया तथा क्रय वस्तुओं के बाजार के संकुचन की सहानुभूति में मूल्य भी अधिक सुगम हो गये तथा सरकारी दुकानों से उठाये जाने वाले माल में कमी होने लगी इन सुगम परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए अनेक राज्यों में वर्ष के मध्य के पश्चात खाद्य नियंत्रणों को कुछ शिथिल कर दिय गया। इस शिथि-लता का उद्देश्य खाद्यों के आयात को बढ़ाने के लिये विवश होने के जोखम उठाये बिना या मूल्यों में आसाधारण वृद्धि को प्रोत्साहन दिये बिना खाद्य नियंत्रण की कष्टप्रद विशेष-ताओं को घटाना था। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि यह शिथिलताएं आधार भूत नीति के ढांचे के अन्तर्गत केवल साधारण उलटफेर हैं तथा जब तक कमी वाले क्षेत्र मौजूद हैं तथा खाद्यान्नों के आयात करने की आवश्यकता बनी हुई है यह शिथिलतायें खाद्यान्नों के सामान्य नियन्त्रण की नीति के परिहरण की द्योतक नहीं हैं। इन शिथिलताओं के परिणामस्वरूप मूल्यों में कोई आकस्मिक वृद्धि नहीं हूई। कुछ कमी वाले क्षेत्रों को असली मूल्य से बहुत कम पर केन्द्र द्वारा आयात किया हुआ खाद्यान्न भेजा गया धन्य हो अमरीका का गेहूं का ऋण, १९५२ के अन्त में सरकार के पास खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक शेष रहा तथा चालू वर्ष के आयात के प्रोग्राम में गत दो वर्षों की अपेक्षा कम मूल्य

[श्री सी० डी० देशमुख]

के आयात का प्रबन्ध किया गया। धीरे धीरे कर के आयात को कम करने की संभाव्यता प्रत्यक्ष रूप से हमारी पहुंच अन्दर प्रतीत होने लगी है।

१९५२ का औद्योगिक उत्पादन भी संतोषजनक था यद्यपि गत अप्रेल में काम के घंटे कम कर दिये गये थे तथा मांग भी तुलनात्मक रूप से कम हो गई थी साल भर में पटसन की वस्तुओं का उत्पादन बढ़कर ९७८,००० टन हो गया, गत वर्ष से ६६,००० टन की वृद्धि हुई। यद्यपि टाट की मांग सामान्य रूप से स्थिर है, बोरों के विश्वव्यापी मांग में कमी हो गई है, जिस से उद्योग में चिन्ता फैली है पर हो सकता है कि यह लक्षण अस्थायी हो। सूती वस्त्रों के उद्योग ने ४,६००० दस लाख गज का प्रलेख्य उत्पादन किया। अब यह उद्योग अन्तर्देशीय मांग को पूर्ण रूप से पूरा कर सकता है। इसी पैमाने पर बराबर उत्पादन होता रहे यह इस पर निर्भर करेगा कि कपड़े का कितना परिमाण निर्यात किया जा सकता है। उत्पादन की उन्नति के कारण एक बड़ी सीमा तक मूल्यों का अनियंत्रीकरण तथा वितरण का पूर्णरूपेण अनियंत्रीकरण संभव हो सका है। दूसरे देशों की बढ़ती हुई प्रतियोगिता के सामने, इस उद्योग को, निर्यात के बाज़ार में अपनी स्थिति की रक्षा करने में, निर्यात शुल्क में हाल में की जाने वाली कमी ने सहायता किया है, जिस को न्यूनाधिक दीर्घकालीन समझना चाहिये। इस्पात का उत्पादन भी गत वर्ष की अपेक्षा अधिक था यदि १·१५ दस लाख टन का उत्पादन भी देशज आवश्यकता से बहुत कम है। सीमेन्ट का उत्पादन बढ़कर ३·५ दस लाख टन हो गया, गत वर्ष से ३००,००० टन की वृद्धि हुई तथा १९४८ के उत्पादन से २ दस लाख टन थी। अन्य क्रय वस्तु, जैसे कागज़, कास्टिक सोडा, पावर अलकोहल, प्लाईवुड, कौशाधव सूत, तथा सिलाई की मशीनों, के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष अनेक नये उद्योगों ने सर्वप्रथम उत्पादन आरम्भ किया। इन में गिनता है, औद्योगिक ब्वाएलर्स, पावर प्रेसों, फ्लोरेसेन्ट नलियों तथा अनेक प्रकार की औषधियों तथा रसायनों की।

आवश्यक कच्चे सामान में रुई तथा पटसन के उत्पादन में भी १९५१–५२ में वृद्धि हुई। रुई का उत्पादन बढ़ कर ३१·३ लाख गांठ हो गया तथा पटसन का उत्पादन बढ़ कर ४६·८ लाख गांठ हो गया।

यद्यपि उत्पादन की सर्वतोमुखी वृद्धि एक आशाजनक चिह्न है फिर भी यह मान लेना गलत होगा कि यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहेगी। शक्कर में उत्पादन कम हो जाने की अभी से आशा की जाती है। इंजीनियरिंग व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि विरोधी प्रवृत्तियों से वह सब से प्रथम प्रभावित जान पड़ता है। देश के कुछ अन्य व्यवसाय भी विशेष कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। कर्घा उद्योग, जो जनसंख्या के एक बड़े भाग का, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जीविकोपार्जन का साधन है, मंदी से क्षतिग्रसित हुआ है। इस उद्योग के सहायतार्थ, एक अस्थायी उपाय के रूप में, १९५१–५२ में मिलों द्वारा किये जाने वाले धोती के उत्पादन को समस्त उत्पादन के ३० प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। कुछ ही समय पूर्व एक कर्घा बोर्ड निर्मित किया गया है तथा मिल के बने कपड़े पर एक छोटा सा उपकर लगाकर कर्घा तथा खादी के उद्योगों को सहायता देने के लिये एक विधि निर्माण किया जा रहा है। चाय उद्योग एक दूसरा उद्योग है जिस पर संसार व्यापी बाज़ार के अभिनव परिवर्तनों का विरोधी प्रभाव पड़ा है। कई वर्षों से यह उद्योग, ब्रिटेन के द्वारा चाय के बड़े परिमाण के क्रय कर लिये

जाने से, बाज़ार के प्रतियोगितापूर्ण परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहता था। प्रत्येक बाग़ की फ़सल का आधा भाग ऐसे मूल्य पर क्रय किया जाता था जिस में उत्पादन के मूल्य में हर प्रकार की वृद्धि की गुंजायश रहती थी। इस सुरक्षित परिस्थिति में चाय का उत्पादन १९३९ के ४५० दस लाख पाउंड से बढ़ कर १९५२ में ६०० दस लाख पाउंड से तनिक ऊपर हो गया। ब्रिटेन के बृहत् परिमाण क्रय संविदा के समाप्त हो जाने से तथा चाय के दामों की अभिनव गिरावट से इस उद्योग को बड़ी क्षति पहुंची है तथा कुछ चाय के बाग़ बन्द हो गये हैं। कुछ समय पूर्व अधिकारियों के दल ने इस उद्योग की परिस्थितियों की जांच की तथा उन की सिफ़ारिशों पर वह दो राज्य जो प्राथमिक रूप से सम्बन्धित हैं तथा उद्योग के प्रतिनिधि विचार कर रहे हैं। सरकार चाय के उद्योग की समस्याओं पर बराबर विचार करती रही है तथा उस ने कुछ सुधार करने वाले उपाय भी किये हैं। १९५३-५४ के सत्र में चाय बागों को ऋण की सुविधायें उपलब्ध करने को प्रेरित करने के लिये गत दिसम्बर में अनुसूचित तथा शीर्ष धनागारों के लिये प्रत्याभूतियों की एक प्रणाली की घोषणा की गई थी। बाग़ों से चाय के उठ जाने के पश्चात् उत्पादन शुल्क का भुगतान करने के लिये पर्याप्त समय दिया गया है तथा छोटे छोटे उत्पादकों को आयकर के अग्रिम भुगतान की उत्तरवादिता से मुक्त कर दिया गया है। चाय उद्योग के मूल्य के ढांचे की जांच करने के लिये निदश के अत्यन्त विस्तृत निबन्धनों के सहित एक ऐसी समिति नियुक्त की जा रही है जिस में मज़दूरों की समस्याओं का अच्छा ज्ञान रखने वाला एक सदस्य होगा। बाग़ों को किये जाने वाले खाद्यों के प्रदाय के सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों से परामर्श करते रहे हैं तथा पश्चिमी बंगाल व आसाम की सरकारों को कुछ सहायता दी गई है। खाद्यान्नों की सहायता को नग़दी की सहायता में परिवर्तित करने की समस्या तो मालिकों तथा मज़दूरों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का विषय है तथा आशा की जा सकती है कि चाय बगान के मज़दूरों की त्रिपक्षी समिति की अगली बैठक में कोई संतोषजनक प्रबन्ध हो जायगा। चाय के दामों में भी कुछ सुधार हुआ है तथा सरकार अधिक प्रभावशाली प्रचार के द्वारा बाहर के देशों में भारतीय चाय की मांग को बढ़ाने की सम्भाव्यताओं की खोज कर रही है। इस विषय पर कुछ समय पूर्व भारत, इंडोनेसिया, लंका तथा संयुक्त राज्य के चाय के व्यापार एक संविदा पर पहुंचे हैं।

दामों में गिरावट ने कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से आय को कम कर दिया है परन्तु इस से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापारियों तथा मध्यवर्ती व्यक्तियों के द्वारा बहुत बड़े तथा आकस्मिक लाभ उठाने की संभाव्यताएं कम हो गई हैं। जब तक उत्पादन वर्तमान स्तर पर हैं औद्योगिक मज़दूरों में बेकारी की बहुत संभावना है। व्यापार तथा वाणिज्य में लाभ के संकुचन का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बेकारी के रूप में हो रहा है। खेत मज़दूरों पर भी दामों की गिरावट का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है सिवाय चाय बागानों के जहां कुछ बेकारी अनिवार्य जान पड़ती है यदि सीमान्त अलाभ बाग़ों को बंद कर देना पड़ा। सदन को विश्वास रखना चाहिये कि सरकार इस क्षेत्र में कष्टों को कम करने के लिये जो कुछ कर सकती है अवश्य करेगी। कुछ दीर्घकालिक विचार करने पर यहआशा की जा सकती है कि जैसे सरकार की विभिन्न विकास योजनाएं पूरी होती जायेंगी उन के द्वारा काम मिलने के और अधिक क्षेत्र उत्पन्न हो जायेंगे। दामों में गिरावट का उत्पादन तथा सेवा-योजन पर पड़ने वाला प्रभाव लगातार देखा जाता रहेगा। यह बात याद रखने की है कि सेवा-योजन की परिस्थिति

[श्री सी० डी० देशमुख]

में सीमान्त परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं तथा उन का सुधार करनेकी दृष्टि से उन का अध्ययन किया जा सकता है परन्तु सेवा-योजन तथा अल्प सेवा योजन की आधार-भूत परिस्थिति को सुधारने के लिये दीर्घ-कालिक उपायों की आवश्यकता है तथा इस प्रकार का सुधार, विशेषकर बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण, केवल पुनः पुनः ही हो सकता है ।

गत मई में आय व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय जब मैं ने भुगतानों के संतुल की स्थिति का अवलोकन किया था तो मैं ने सदन का ध्यान, १९५१ में तथा १९५२ के पहले चार मास में, अपनी क्षीणकाय स्थिति की ओर दिलाया था । परन्तु समग्र रूप से देखते हुए १९५२ के प्रथम अर्ध में गत वर्ष की अपेक्षा सुधार के लक्षण थे; प्रचलित लेखा पर भुगतान का घाटा १९५१ के पिछले ६ मास के ९२ करोड़ रुपया से कम हो कर ७४ करोड़ रुपया रह गया था । १९५२ के प्रथम अर्ध में आयात का भुगतान ४४२ करोड़ रुपया था । निर्यात की प्राप्ति थी ३१५ करोड़ रुपया तथा शुद्ध अदृश्य प्राप्ति ५३ करोड़ रुपया । इस काल के घाटे का कुछ भाग गेहूं के क्रय के अमरीकन ऋण से पूरा किया गया था तथा शेष पाउंड पावना से ।

१९५२ के प्रथम अर्ध के ७४ करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले में, आगामी तीन मास में २८ करोड़ रुपये का अधिक्य हुआ १९५२ के पहले नौ मास में ४६ करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा था । बाद के महीनों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं परन्तु जान पड़ता है कि १९५२ के तृतीय चतुर्थ खण्ड की प्रवृत्ति स्थिर रही है । इस की प्रतिच्छाया रिजर्व बैंक में जो हमारा पाउंड पावना है उस की वृद्धि में दिखाई देती है जो कि गत सितम्बर के ६९० करोड़ रुपये से बढ़ कर फरवरी के मध्य में ७२० करोड़ रुपये हो गया है ।

१९५२ के प्रथम अर्ध में पिछले छै मास की अपेक्षा भारत की डालर स्थिति कुछ क्षीण होने लगी, पाउंड क्षेत्र के सोने तथा डालर की रक्षित निधि से उस के द्वारा निकाली जाने वाली धन राशि पिछले छै मास के ३० दस लाख डालर के बजाय १८८ दस लाख डालर हो गई । इस का मुख्य कारण यह था कि डालर स्रोत की रुई तथा खाद्यान्नों के लिये अधिक भुगतान करना पड़ा । १९५२ के पश्चग अर्ध में, जैसा मैं ने अपने आयव्ययक भाषण में कहा था, कुछ सुधार हुआ । नवम्बर १९५२ में समाप्त होने वाले पांच मास के प्रारम्भिक आंकड़ों से प्रकट होता है कि भारत ने केन्द्रीय समूहन में ६३ दस लाख डालर दिया । डालर की स्थिति के इस परिवर्तन के कारण १९५२ के तृतीय चतुर्थ खण्ड में देश के भुगतान के समग्र संतुलन में सुधार हुआ जिस की ओर मैं पहले निर्देश कर चुका था ।

अब मैं संक्षेप में अपने भुगतान के संतुलन में इन परिवर्तनों के विभिन्न उत्तरवादी तत्वों की ओर लक्ष्य करूंगा । १९५१ के अन्त में धारे का बहाव उधार के संकुचन तथा सामान्य रूप से व्यय को कम करने की ओर था । १९५१-५२ के व्यस्तताकाल में धनागार ऋण की वृद्धि प्रायिक से बहुत कम हुई तथा लगभग १०० करोड़ रुपया तक पहुंची जब कि गत वर्ष के व्यवस्तता काल में यही धन राशि इसी की दुगनी थी इस के साथ साथ बहुत से कच्चे माल तथा अन्य क्रय वस्तुओं के संसार-व्यापी मूल्यों की सामान्य गिरावट ने देश के मूल्यों के स्तर को गिरा दिया विशेष कर १९५२ के प्रथम महीनों में । इस प्रकार थोक मल्यों का सामान्य अनुक्रमणिकांक जो फरवरी १९५२ में ४१३ बिन्दु के आसपास

था, मार्च के मध्य तीव्र गति से घट गया तथा ३६५ बिन्दु पर आ गया, औद्योगिक कच्ची सामग्रियों के मूल्यों की गिरावट अधिक तीव्र थी। इसी लिये भारत के निर्यात में कमी हुई तथा उसी के साथ कच्ची रुई तथा खाद्यों के आयात के लिये बड़े बड़े भुगतान करना पड़े, पहले के लिये ७९ करोड़ रुपया तथा दूसरे के लिये १२१ करोड़ रुपया।

१९५२ के पश्चग अर्ध में स्थिति का सुधार अनेक कारणों से हुआ। पहली बात तो यह कि पहले महीनों में दृष्टिगोचर होने वाली निर्यात की आय की गिरावट को रोकने के लिये वर्ष के मध्य में निर्यात के नियमनों को शिथिल कर दिया गया। दूसरी बात यह कि निर्यात शुल्क कम कर दिया गया तथा कई वस्तुओं पर से बिलकुल हटा लिया गया। तीसरी बात यह कि कई क्रय वस्तुओं का निर्यात निर्धारित भाग बढ़ा दिया गया तथा सूती वस्त्रों तथा कुछ अन्य क्रय वस्तुओं के निर्यात पर लगाये गये अवरोध शिथिल कर दिये गये। इन बातों ने देश के निर्यात को अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायता की।

विदेशी क्रय कर्ता निर्यात शुल्क के कम होने की आशा में बैठे नहीं रहे वरन् उन्होंने पुनः बाज़ार में प्रवेश किया यद्यपि समय बीत जाने पर। खाद्यों तथा रुई के आयात पर भुगतान भी गत छै मास की अपेक्षा बहुत कम करना पड़ा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतान, जैसा कि सदन को ज्ञात है, अनेक प्रकार के जटिल तत्वों से तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत के उलट फेर से प्रभावित होता है जिन के सम्बन्ध में, मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि, भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। परन्तु मुझे जान पड़ता है कि आने वाले महीने इतने सुगम नहीं होंगे जितने कि १९५२ के गत ६ महीने बीते हैं। इन महीनों में निर्यात की आय में जो वृद्धि हुई है वह इस लिये कि पिछले समय के आर्डर इन्हीं महीनों में पूरे किये गये। निर्यात की मुख्य सामग्रियों के दामों में और अधिक कमी हुई जैसे पटसन से निर्मित वस्तुएं तथा तेल वाले बीज। अनेक देशों ने भी आयात पर बन्धन लगाये हैं। अन्त में, चालू वर्ष के प्रथम अर्ध की आयात नीति बहुत सी वस्तुओं के आयात को आसान बनाती है जिन को अब तक आयात करने पर रोक लगी हुई थी। खाद्यों का क्रय भी हमारे विदेशी भुगतानों को बढ़ा देने वाला है।

माननीय सदस्यों को वह बयान याद होगा जो मैं ने पिछले सत्र में, गत नवम्बर में लन्दन में होने वाले राष्ट्र मण्डल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में, संसद् में दिया था। पिछले महीनों में पाउंड क्षेत्र के डालर तथा सोने की रक्षित निधि के रेचन को रोकना ही हमारी सब से प्रमुख समस्या रही है। जनवरी १९५२ की लन्दन की बैठक के बाद राष्ट्रमण्डल की सरकारों ने जो उपाय किये उस से केन्द्रीय रक्षित निधि का रेचन रुक गया तथा किसी सीमा तक उस की दिशा में भी परिवर्तन हुआ। यह रक्षित निधि जो १९५१ के अन्त में २·३३५ दस लाख डालर थी तथा मार्च १९५२ के अन्त में १,७०० दस लाख डालर रह गई थी बाद के तीन महीनों में उस म केवल १५ दस लाख डालरों की छोटी सी राशि की कमी हुई तब से इस रक्षित निधि में थोड़ी सी वृद्धि हुई है जो दिसम्बर १९५२ के अन्त में १,८४६ दस लाख डालर हो गई। इस सुधार में हम ने जो योगदान किया उस का उल्लेख किया जा चुका है परन्तु पिछले वर्षों में पाउंड क्षेत्र को जिन सावधिक संकटों का सामना करना पड़ा है उन से जान पड़ता है कि अस्थाई उपशमनकारी उपायों के बजाय दीर्घकालिक उपायों की

[श्री सी० डी० देशमुख]

आवश्यकता है। जैसा कि जनवरी १९५२ में होने वाले सम्मेलन में अनुभव किया गया था इस समस्या की वास्तविक कुंजी संसार-व्यापी उत्पादन तथा व्यापार की वृद्धि तथा शीघ्रताशीघ्र पाउंड परिवर्तनीयता की ओर कदम बढ़ाने में निहित है। राष्ट्र-मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन ने इस बात पर सम्मति प्रकट की थी कि पाउंड क्षेत्र के देशों को सुदृढ़ अन्तर्देशीय अर्थ नीति पर चलना चाहिये तथा आर्थिक विकास अपनी उत्पादन तथा प्रतियोगीय शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से करना चाहिये तथा अन्य व्या-पारी देशों के साथ सहयोग करना चाहिये। जैसा कि मैं पहले इस सदन में कह चुका हूं इन बातों पर सहमति होने से भारत सरकार को कोई अभिनव नीति नहीं ग्रहण करना पड़ेगी। भारत की अन्तर्देशीय नीति पहले से ही उन कार्यों की ओर लगाई जा चुकी है जो कि इस सम्मेलन ने तै किये हैं। पंचवर्षीय योजना के पूरे हो जाने पर आशा की जाती है कि भारत संसारव्यापी व्यापार की वृद्धि में भाग लेने तथा अपने उत्पादन की वृद्धि करने के योग्य हो जायगा। स्वयं अपनी सहायता कर के भारत न केवल पाउंड क्षेत्र के देशों की सहायता करेगा वरन् उत्पादन तथा व्यापार की वृद्धि करने में शेष सारे संसार की सहायता करेगा।

अन्य विषयों को लेने से पहले, अपनी कुछ विकास योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय धनागार से होने वाली वार्ता में जो उन्नति हुई है, उस के सम्बन्ध में, मैं, संक्षप म बता देना चाहता हूं। गत वर्ष के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय धनागार के सभापति के भारत आने के बाद इस धनागार के अनेक अधिकारी, उन योजनाओं पर विचार करने के लिये, जिन के लिये हम ऋण चाहते हैं, इस देश में आये। धनागार के दो नियोग, औद्योगिक वित्तीय निगम की आवश्यकताओं की जांच करने के लिये आये। इन नियोगों ने इस्पातोत्पादन के विकास तथा दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत कुछ संचरण योजनाओं की सहायता करने की सम्भाव्यताओं पर भी विचार किया। भारत से भी कई अधिकारी इस धनागार के अधिकारियों से परामर्श करने के लिये संयुक्त राज्य गये। इस वार्ता के परिणाम-स्वरूप इस धनागार ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिये ३१·५ दस लाख डालर का ऋण तथा दामोदर घाटी निगम के लिये १९·५ दस लाख डालर का ऋण देना स्वीकार किया है। स्टील कम्पनी का ऋण, जो भारत सरकार द्वारा दिया गया है उस पर ४ ३/४ प्रतिशत का सूद पड़ेगा तथा वह १५ वर्ष में पुनः प्रतिशोधनीय होगा। दामोदर घाटी निगम के ऋण पर ४ १/८ प्रतिशत सूद पड़ेगा तथा वह २५ वर्ष में पुनः प्रतिशोधनीय होगा। औद्योगिक वित्तीय निगम के ऋण की वार्ता समाप्त होने वाली है तथा जल्दी ही संविदा सम्पन्न हो जावेगा।

गत वर्ष भी, चालू आन्तर्राष्ट्रीय कारोबार सम्बन्धी भुगतान तथा हस्तान्तरण की वर्तमान प्रतिबन्धों को बनाये रखने के सम्बन्ध में, अन्तर्राष्ट्रीय निधि के अधिकारियों से, इस बात के निर्णय करने में सहायता करने की दृष्टि से, वार्ता हुई थी कि क्या विनिमय के वर्तमान प्रतिबन्ध उचित हैं। मुझे यह बताने में हर्ष होता है कि उक्त निधि इस बात पर राज़ी हो गया है कि भारत के बाहरी भुगतान की स्थिति की विशेष परिस्थितियों में यह प्रतिबन्ध बने रहने दिये जायं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की प्रायिक प्रक्रिया के अनुसार इस निधि के विशेषज्ञों का एक नियोग इस समय इस देश में आया हुआ है। यह नियोग पंच वर्षीय योजना तथा

देश की राजकोषीय मुद्रा सम्बन्धी तथा आर्थिक नीतियों का सूक्ष्म अध्ययन कर रहा है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि हम देश के आर्थिक ढांचे को क़ायम रखने के लिये, तथा उस के नियमित विकास के लिये जो उपाय कर रहे हैं उन के सम्बन्ध में इस नियोग का वस्तुरूप विचार हमें इस बात के विश्वास करने में सहायक होगा कि हमारी पंच वर्षीय योजना के कार्यान्वितीयकरण के संसाधन अनुकूलतम रीति से एकत्रित किये जा रहे हैं तथा सम्भव है कि बाहरी देशों को ऐसी रीति से हमारी सहायता करने के लिये प्रोत्साहित करे जो समग्र रूप से हमें स्वीकार्य हो।

विकास के लिये मिलने वाली बाहरी सहायता के विषय पर मैं संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहयोग प्रशासन की ओर से प्राप्त होने वाली सहायता का उल्लेख करना पसंद करूंगा। ऐसी योजनाओं के प्रसार के लिये जो आरम्भ की जा चुकी है तथा ऐसी अतिरिक्त योजनाओं के लिये जिन के सम्बन्ध में संम्मति हो इस वर्ष ३८·३५ दस लाख डालरों का प्रावधान कर दिया गया है। कोलम्बो योजना की पूर्ति के लिये आस्ट्रेलिया, केनाडा तथा न्यूज़ीलैण्ड की सरकारें लगभग २० दस लाख डालर की धनराशि और देने के लिये राज़ी हैं। अपनी कुछ विकास योजनाओं के लिये हम ने नारवे की सरकार से भी ६७ लाख रुपये की सहायता प्राप्त की है मैं इस अवसर पर इन मित्र राष्ट्रों की प्रशंसा करना चाहता हूं।

चालू वर्ष के पुनरीक्षित आगणन तथा आगामी वर्ष के आयव्ययक आगणन को लेने के पूर्व में वित्त आयोग के प्रतिवेदन की ओर निर्देश करना पसन्द करूंगा जो संसद् के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं। सदन को याद होगा कि दिसम्बर १९५१ में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये अपने प्रथम प्रतिवेदन में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार चालू वर्ष का आय व्यय लेखा इस आधार पर बनाया गया था कि केन्द्र तथा राज्यों में राजस्व के विभाजन तथा उन को सहायक अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में उस समय जो प्रबन्ध चालू था, चालू वर्ष में वैसा ही बना रहने दिया जायेगा तथा केवल इस नियमन के आधीन होगा कि आयोग की अन्तिम सिफ़ारिशों पर किये जाने वाले निर्णय १ अप्रेल १९५२ से कार्यान्वित किये जायें। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की सिफ़ारिशें सरकार द्वारा पूर्ण रूप से मान ली गई हैं। इन सिफारिशों के अनुसार राज्यों को आयकर का एक बृहत्तर भाग देना, तम्बाकू, दियासलाई, तथा वनास्पति उत्पत्ति पर संघ उत्पादन शुल्क की वास्तविक आय का ४० प्रतिशत राज्यों को विभाजित करना तथा अनेक राज्यों को बढ़े हुए तथा अतिरिक्त सहायक अनुदानों का दिया जाना आवश्यक है। इन सिफ़ारिशों का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि राज्यों को राजस्व तथा सहायक अनुदानों के सौंपने में औसत रूप से इस समय जितनी धन राशि दी जाती है उस की अपेक्षा लगभग २१ करोड़ रुपया प्रति वर्ष अधिक हस्तांतरित किया जायगा। दो विषयों को छोड़ कर, जिन के सम्बन्ध में आयोग ने स्वयं सुझाव दिया है कि उन की सिफारिशों को आगामी वित्तीय वर्ष से कार्यान्वित किया जाय, इस आयोग की सिफ़ारिशों को चालू वर्ष से कार्यान्वित किया गया है तथा इस वर्ष के पुनरीक्षित आगणन व आगामी वर्ष के आयव्ययक आगणन इसी के अनुकूल हैं।

मैं आयोग की सिफ़ारिशों पर बहुत विस्तार के साथ नहीं कहना चाहता चूंकि दोनों सदनों के सदस्यों में आयोग का प्रतिवेदन परिचारित किया जा चुका है, राजस्व

[श्री सी० डी० देशमुख]

तथा व्यय के विभिन्न शीर्षकों पर पड़ने वाले प्रभाव सहित, सारे विवरण आयव्ययक पत्रों के साथ परिचालित व्याख्यात्मक ज्ञप्ति में मिलेंगे। मैं इस अवसर पर यह मूल्यवान कार्य करने के लिए सरकार की ओर से आयोग की प्रशंसा करता हूं। विधान के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाला प्रथम आयोग होते हुए इतनी सरकारों की अभियाचनाओं के निर्णय करने का नाजुक काम जिस के सिपुर्द किया गया उस की उत्तरवादिता अत्यन्त कठिन तथा गुरुतापूर्ण थी। मुझे विश्वास है कि आयोग ने जिस निष्पक्षता तथा वस्तुरूपता के साथ इन समस्याओं का समाधान किया है जो उन के सामने थीं उस के लिये सदन के सभी अंग व बाहर की जनता आयोग की प्रशंसा करने में मेरा साथ देगी।

चालू वर्ष के आय व्यय लेखा में मैं ने राजस्व शीर्षक में ३·७३ करोड़ रुपये के आधिक्य का प्रावधान किया था। अब मैं आशा करता हूं कि यह आधिक्य ३·७९ करोड़ रुपये की हीनता में बदल जायगा। यह, राजस्व में १३·६६ करोड़ रुपये की बढ़ती तथा राजस्व से किये जाने वाले व्यय में २१·१८ करोड़ रुपये के पतन के कारण हुआ है।

वर्ष के समग्र राजस्व का आगणन सब ४१८·६४ करोड़ किया जाता है जब कि आय व्यक आगणन ४०४·९८ करोड़ था। राजस्व का यह आधिक्य मुख्यतः आयकर तथा सीमा शुल्क के कारण है। सीमा शुल्क का राजस्व अब १२० करोड़ रुपया है, जब आय व्यय लेखा बनाया गया था तो जो धन राशि प्राप्त होने की आशा की जाती थी उस से ५ करोड़ रुपया कम। निर्यात शुल्क, जैसी आशा की जाती थी, उस से कुछ अधिक प्राप्त हुई हैं तथा मैं आशा करता हूं कि, ४० करोड़ रुपये के आगणन के स्थान पर ५५ १/२ करोड़ रुपये की धन राशि जमा हो जायगी। सदन को याद होगा कि इस बात पर ध्यान देते हुए कि इस श्रोत से, जितनी आय की आशा की जा सकती है, वह अनिश्चित है, क्योंकि यह अधिकतर संसार व्यापी बाज़ार के उलट फेर पर निर्भर करती है, तथा समुद्र पार की बाज़ारों में अपनी स्थिति को दृढ़ बनाये रखने के लिये समय समय पर हमें अपने शुल्कों को घटाना बढ़ाना पड़ता है, अतः हम ने समझा था कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष निर्यात शुल्क के राजस्व में काफ़ी गिरावट होगी। गिरावट तो हुई है और वास्तव में आयव्यय लेखा बनाते समय जितनी गिरा-वट की हम आशा करते थे उससे बहुत कम आय कर से प्राप्त होने वाला धन भी १५ करोड़ रुपये अधिक होने वाला है, जिस में निगम कर से ९·३ करोड़ रुपये की तथा आय कर से ५·७ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। यह आधिक्य मुख्यतः कर निर्धारण के तीव्रकरण तथा बकाया की अदायगी के आन्दोलन के कारण जो कुछ समय से चल रहा है होने वाले अधिक संग्रह के कारण हुआ है। संघ उत्पादन शुल्क के अब ८० करोड़ रुपये होने की आशा की जाती है जब कि आयव्ययक आगणन ८६ करोड़ रुपया था, इस गिरावट का कारण मुख्यतः सूती कपड़े के शुल्क के कम संग्रह होने तथा तम्बाकू से प्राप्त राजस्व में थोड़ी कमी हो जाने के कारण हुई है। आयव्यय लेखा में पाकिस्तान द्वारा भारत को किये जाने वाले ऋण प्रतिशोधन की पहली क़िस्त के रुपये नौ करोड़ रुपये के प्राप्त होने का हिसाब लगाया गया था परन्तु चूंकि विभाजन ऋण की अस्थायी धनराशि के सम्बन्ध में अभी तक कोई समझौता सम्पन्न होना संभव नहीं हुआ है इस भुगतान के आप व्ययक वर्ष में चले जाने की सम्भावना है। दूसरे

शीर्षकों में आय व्यय लेखा से कोई विशेष अन्तर पड़ने की आशा नहीं की जाती है। आय कर के राज्यों के भाग का भुगतान अब संभवतः जितना आयव्यय लेखा में प्रावधान किया गया था उस से लगभग ६ करोड़ रुपया अधिक होगा कुछ तो इसलिये कि जितने संग्रह होने का उल्लेख किया गया था, उस से अधिक संग्रह हुआ है तथा कुछ इसलिये कि वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

चालू वर्ष में राजस्व से होने वाला व्यय अब ४२२·४३ करोड़ रुपया बताया जाता है जब कि आयव्ययक आगणन ४०१·२५ करोड़ रुपया था। सुरक्षा सेवाओं पर १९२·७३ करोड़ रुपया है तथा नागरिक व्यय २२९·७० करोड़ रुपया है।

सुरक्षा सेवाओं में ५·२२ करोड़ रुपये की कमी मुख्यतः इसलिये कि विदेशों से होने वाला प्रदाय उस सीमा तक प्राप्त नहीं हुआ है जितना आयव्यय लेखा में आगणन किया गया था। नागरिक शीर्षकों में अब आशा की जाती है कि व्यय आयव्ययक अनुमान से २६·४ करोड़ रुपया अधिक होगा। यह बढ़ती मुख्यतः इसलिये हुई है कि वित्तीय आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार राज्यों को अतिरिक्त भुगतान किया गया है तथा खाद्य सहायता पर अधिक व्यय किया गया है। पुनरीक्षित आगणन में राज्यों को तम्बाकू, माचिस तथा वनास्पति उत्पत्ति के संघ उत्पादन शुल्क के उन के भाग के रूप में १६·४२ करोड़ रुपये का भुगतान किये जाने का प्रावधान भी सम्मिलित है। आशा की जाती है कि विधान के अनुच्छेद २७३, २७५ तथा २७८ के अन्तर्गत राज्यों के सहायक अनुदान आयव्ययक प्रावधान की अपेक्षा २·९८ करोड़ रुपया अधिक होंगे; यह वित्तीय आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार राज्यों को किये जाने वाले अतिरिक्त भुगतान होंगे। खाद्य सहायता का व्यय, जिस के लिये आय-व्यय लेखा ने १५ करोड़ रुपये का प्रावधान किया था अब २१ करोड़ रुपया होगा। आय-व्यय लेखा की तुलना में अन्य अन्तर, आशा की जाती है कि, महत्वपूर्ण न होंगे, तथा आयव्यय लेखा के साथ परिचालित ज्ञप्ति में उन का विवरण दे दिया गया है।

कर निर्धारण के वर्तमान स्तर के अनुसार आगामी वर्ष के राजस्व का आगणन ४३७·७६ करोड़ रुपया किया जाता है तथा राजस्व से होने वाला व्यय ४३८·८१ करोड़ रुपया कहा जाता है तथा १·०५ करोड़ रुपये की कमी रह जाती है।

मैं सीमा शुल्क के राजस्व के आगणन करने की कठिनाइयां पहले बता चुका हूं। १७७ करोड़ रुपये की धनराशि के स्थान पर जो हम चालू वर्ष में. संग्रह करने की आशा करते हैं मैं ने आय व्ययक वर्ष के लिये १७० करोड़ रुपये का अनुमान किया है। निर्यात शुल्क का राजस्व, आशा की जाती है, कि उतना ही होगा जितना कि चालू वर्ष में हुआ है, तथा ११८ करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की आशा है। इस वर्ष निर्यात शुल्क का राजस्व आशा से थोड़ा अधिक प्राप्त हुआ परन्तु मेरा विचार है कि वर्तमान परिस्थिति में राजस्व के उसी स्तर पर बने रहने का प्रावधान करना जहां तक कि वह चालू वर्ष में पहुंच चुका था यथार्थवादिता न होगी। मैं ने इस स्रोत से प्राप्त होने वाले राजस्व में ४ १/२ करोड़ रुपये की गिरावट होने का अनुमान किया है तथा सीमा शुल्क के राजस्व का आगणन १७० करोड़ रुपया किया है संघ उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत पुनरीक्षित आगणन के ८० करोड़ रुपये के बजाय मैं ने ९४ करोड़ का हिसाब लगाया है। १४ करोड़ रुपये की बढ़ती में ६ करोड़ रुपया वह है जो खादी तथा

[श्री सी० डी० देशमुख]

कर्घा उद्योग के लाभ के लिये मिल के बने कपड़े पर उपकर के रूप में लगाया गया है तथा ३ करोड़ रुपया शक्कर पर लगाये गये विशेष उत्पादन शुल्क से प्राप्त होगा जो कि कुछ ही समय हुआ लगाया गया था। कपड़े के उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी ३ करोड़ रुपया अधिक मिलने की आशा है। अन्य शीर्षकों के लेखे में थोड़ा थोड़ा सुधार होने से शेष २ करोड़ रुपया प्राप्त होने की आशा है। आयकर से प्राप्त होने वाले समग्र राजस्व का हिसाब १६० करोड़ रुपया लगाया गया है पुनरीक्षित आगणन से १० करोड़ रुपया कम, जिस का मुख्य कारण आत्म प्रेरित प्रकटीकरण से होने वाले राजस्व की गिरावट तथा अतिरिक्त आयकर के याद्धोत्तर कालीन प्रत्यर्पण तथा उस पर लिये जाने वाले आयकर का संकुचन इस वर्ष मुद्राचलन तथा टकसाल के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक से होने वाले लाभ के ७.५ करोड़ रुपये के स्थान पर १२.५ करोड़ रुपये होने की आशा है ।

पाकिस्तान द्वारा भारत के अदा किये जाने वाले विभाजन ऋण की दो क़िस्तों के प्रतिशोधन का भी हिसाब लगाया गया है, जिस में से एक क़िस्त चालू वर्ष से स्थानान्तरण कर के आई है। तार तथा डाक विभाग की शुद्ध बचत भी एक करोड़ रुपया कम होगी। अन्य शीर्षों के आगणन न्यूनाधिक वही हैं जैसे कि पुनरीक्षित आगणन थे।

आगामी वर्ष राजस्व से होने वाला व्यय, आगणन किया जाता है कि, ४३८·८१ करोड़ रुपया होगा, चालू वर्ष के आगणन से १६·३८ करोड़ रुपया अधिक। सुरक्षा सेवाओं का व्यय १९९.८४ करोड़ रुपया रक्खा गया है तथा असैनिक व्यय २३८·९७ करोड़ रुपया।

आगामी वर्ष सुरक्षा सेवाओं के कुल १९९·८४ करोड़ रुपये के व्यय में से थल सेना पर १४८·१८ करोड़ रुपया, जल सेना पर ११·०७ करोड़ रुपया नभ सेना पर २५·२ करोड़ रुपया तथा १५.३८ करोड़ रुपया अप्रभावी व्यय के मद में व्यय किया जायगा। पुनरीक्षित आगणन से अधिक व्यय विशेषकर जल सेना तथा नभ सैना के सम्बन्ध में है जो जैसा कि सदन को ज्ञात है, विकसित होने वाली सेवायें हैं।

सुरक्षा के व्यय के आगणन पर विचार करने के सम्बन्ध में मैं फिर वही कहना चाहता हूं जो मैं अनेक अवसरों पर पहले कह चुका हूं कि जब तक देश की सुरक्षा के लिये कोई भी खतरा है सशस्त्र सेनाओं के आकार में कोई वृहत् परिमाप कटौती नहीं की जा सकती है। जब तक सब से प्रमुख आवश्यकता उपस्थित है मैं निकट भविष्य में सुरक्षा व्यय में कोई महत्वपूर्ण कमी करने की आशा नहीं दिला सकता। फिर भी हमारा उद्देश्य यही रहा है तथा है कि देश की रक्षा के लिये कम से कम सेनाएं रक्खी जायं। सदन को याद होगा, कि चालू वर्ष का आय व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय, मैं ने कहा था कि सशस्त्र सेनाओं के संगठन तथा उन की सामग्रियों का एक आलोचनात्मक परीक्षण इस उद्देश्य से आरम्भ किया गया है कि देखा जाय कि सुरक्षा व्यय में कौन कौन सी बचत की जा सकती है। यह आलोचनात्मक परीक्षण, न्यूनाधिक, एक चालू रहने वाली प्रक्रिया होगी। कुछ संस्थापनों सुसज्जीकरण की दर तथा कुछ सेवाओं के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में अब तक जिन परिणामों पर पहुंचा गया है वे अन्त में किफ़ायत के द्रष्टिकोण से बड़े महत्व के हैं तथा, यद्यपि मैं कह नहीं सकता हूं चालू वर्ष के आगणनों में बड़ी हद तक इन का प्रभाव दिखाई देता है। मुझे विश्वास है कि कुछ समय में इन से प्रर्याप्त बचत होवेगी। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, सुरक्षा पर किये जाने वाले व्यय की सीमाएं राष्ट्रीय सुरक्षा

की आवश्यकताओं से निर्धारित होती हैं फिर इस परिधि के अन्दर किफ़ायत के लिये जो उपाय किये जा सकते हैं उन के खोजने का जान तोड़ प्रयास किया जायगा।

आगामी वर्ष के असैनिक व्यय का आगणन २३८.९७ करोड़ रुपया किया जाता है जब कि चालू वर्ष २२९.७० करोड़ रुपया है। चालू वर्ष के आगणन में खाद्य सहायता के २१ करोड़ रुपये का प्रावधान तथा १९५१-५२ के उत्पादन के स्टाकों के मूल्यों में हो जाने वाली कमी की पूर्ति करने के लिये शक्कर की मिलों को दी जाने वाली क्षति पूर्ति के ४ करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित है। यह निर्णय किया गया है खाद्य को सहायता राजस्व से न दी जाया करे तथा इस शीर्षक में आगामी वर्ष कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इन दो प्रमुख मद्दों को छोड़ कर आगामी वर्ष का असैनिक व्यय चालू वर्ष के तत्सम्बन्धी अंक से $34\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया अधिक होगा। यह आधिक्य मुख्यतः अनेक विकास योजनाओं के लिये किये जाने वाले प्रावधान के बढ़ा दिये जाने के कारण हैं। इन में, मैं बताना चाहूंगा, कि बेसिक तथा सामाजिक शिक्षा के लिये २ करोड़ रुपये का प्रावधान, कार्या-उद्योग विकास निधि में हस्तान्तरित किये जाने के लिये ६ करोड़ रुपये का प्रावधान, लघु परिमाण उद्योगों के विकास के लिये एक करोड़ रुपया। औद्योगिक गृह व्यवस्था के लिये ४ करोड़ रुपया, सामुदायिक योजनाओं के लिये ६·३३ करोड़ रुपया, पछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिये १ करोड़ रुपया, स्थानीय निर्माणों के लिये ३ करोड़ रुपया, राष्ट्रीय प्रसार सेंचन के लिये ५० लाख रुपया तथा वित्तीय आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिये कुछ राज्यों के अनुदान के लिये १·५ करोड़ रुपया सम्मिलित है। विस्थापित व्यक्तियों की सहायता पर किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में भी, आशा की जाती है कि, वह चालू वर्ष के अंक से एक करोड़ रुपया अधिक होगा। अनुसन्धान व्यय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अनुदान, अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिम जातियों के विकास के अनुदान के लिये भी और अधिक प्रावधान किया गया है।

चालू वर्ष के आय व्यय लेखा में, अमरीकन गेहूं के बिक्री की आय में से विशेष विकास विधि को १० करोड़ रुपये का हस्तान्तरण सम्मिलित करते हुए पूंजी व्यय के लिये ७९ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस निधि के हस्तान्तरण के २६.५७ करोड़ रुपये हो जाने की आशा की जाती है तथा इस को निकाल कर पूंजीव्यय ४९ करोड़ रुपया होगा। राज्य सरकारों को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, विकास तथा इस वर्ष के अकाल की सहायता के लिये दिया जाने वाला ऋण ११७ करोड़ रुपया हो जायगा जब कि आय व्यय लेखा में १०४ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। पुनरीक्षित आगणन में पुंजी उदव्यय के प्रावधान का आनियमन विभिन्न योजनाओं पर होने वाले व्यय के अनुसार किया गया है व्यय में २० करोड़ रुपये की कटौती विशेष कर इस लिये संभव हुई कि सुरक्षा पूंजी उदव्यय के प्रावधान में ८.२९ करोड़ रुपये की बचत की गई तथा औद्योगिक विकास के पूंजी उदव्यय के प्रावधान में, विशेषकर पोत-परिवहण उद्योग के विकास के तथा स्पात संयन्त्र के संस्थापन के प्रावधान में, ८.१५ करोड़ रुपये की बचत की गई। विभिन्न पूंजी योजनाओं तथा अधिक अन्न उपजाओ योज-नाओं के ऋणों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को अकाल तथा स्वल्पता की सहायता के लिये आरम्भ किये गये निर्माणों के सम्बन्ध में सहायता करने के लिये छै करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

आगामी वर्ष के लिये, ७७ करोड़ रुपये का समग्र प्रावधान पुंजी उदव्यय के लिये तथा राज्य सरकारों के ऋणों के लिये १३१ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिस में विशेष विकास निधि से प्राप्त किये ऋण भी सम्मिलित हैं। पूंजी उदव्यय के प्रावधान में रेलवे के लिये १६ करोड़ रुपया, तार तथा डाक के लिये ७.६ करोड़ रुपया, औद्योगिक विकास के लिये ६·७६ करोड़ रुपया, नागरिक उड्डयन प्रसार के लिये $2\frac{1}{4}$ करोड़ रुपया, मुख्य बन्दरगाहों के विकास के लिये $\frac{1}{4}3$ करोड़ रुपया, नदी घाटी योजनाओं पर होने वाले व्यय में केन्द्र के भाग के लिये ३·७३ करोड़ रुपया, नागरिक निर्माण जिस में यातायात भी सम्मिलित है १७·८१ करोड़ रुपया नई दिल्ली के पूंजी उदव्यय के लिये १·५६ करोड़ रुपया, तथा सुरक्षा पूंजी उदव्यय के लिये १५ करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित है। राज्यों के ऋणों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये १०·३ करोड़ रुपया, सामुदायिक विकास योजनाओं के लिये ११ करोड़ रुपया नदी घाटी योजनाओं के लिये ४६·२७ करोड़ रुपया तथा अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के लिये २७·८६ करोड़ रुपये के ऋण साम्मलित

जैसा पहले होता था आय व्यय लेखा में विकास तथा पूंजी व्यय का प्रावधान योजना आयोग की बताई हुई योजना के अनुसार किया गया है। आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन, जो पिछले आय व्यय लेखा के बाद निकाला गया था तथा संसद् के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था, अब लोक क्षेत्र के समग्र व्यय को २,०६९ करोड़ रुपया दिखाता है जो कि आयोग द्वारा निकाले गये योजना के प्रथम उपलेख की राशि से २७६ करोड़ अधिक है। इस समग्र व्यय में से कृषि तथा सामुदायिक विकास पर ३६१ करोड़ रुपया, संचरण पर १६८ करोड़ रुपया बहुप्रयोजनीय संचरण तथा विद्युत योजनाओं पर २६६ करोड़, विद्युत पर १२७ करोड़ रुपया, यातायात तथा सूचना पर ४९७ करोड़ रुपया उद्योग पर १७३ करोड़ रुपया, सामाजिक सेवाओं पर ३४० करोड़ रुपया, पुनर्वास पर ८५ करोड़ रुपया, छुटपुट मद्दों पर ५२ करोड़ रुपया। इस योजना को देख कर जिस के पांच वर्ष मार्च १९५६ में समाप्त होंग, राज्य तथा केन्द्र को मिला कर, प्रथम दो वर्षों का व्यय, आशा की जाती है, कि ६०० करोड़ रुपया हो जायगा। जहां तक केन्द्रीय आय व्यय लेखा का सम्बन्ध है, आगामी वर्ष के व्यय का प्रावधान अन्य बातों के साथ साथ इस विचार से किया गया है कि व्यय के वेग को बढ़ाया जा सके जिस से, योजना के तृतीय वर्ष में, आयोग द्वारा निर्धारित, विकास के स्तर का प्राप्त करना जहां तक हो सके निश्चित हो जावे।

चालू वर्ष के आय व्यय लेखा में ७६ करोड़ के समग्र घाटे का प्रावधान । जिस को पूरा करने के लिये, १५९ करोड़ रुपये के आरम्भिक नक्द आधक्य शेष से प्रबन्ध किया गया था वर्ष के अन्त में ८३ करोड़ रुपये का अन्तर शेष रह जाता था। पुनरीक्षित आगणन से प्रगट होता है कि समग्र घाटा थोड़ा अधिक ८३ करोड़ रुपया होगा तथा साल के अन्त में ८० करोड़ रुपये का अन्तिम अन्तर रहेगा। चालू वर्ष में कोई भी ऋण पुनः प्रतिशोधन के लिये दात्वय नहीं हुआ। यद्यपि आय व्यय लेखा में २५ करोड़ के लोक ऋण का हिसाब रक्खा गया था परन्तु वास्तव में कोई ऋण उगाहा नहीं गया जिस से अपनी विकास योजनाओं के लिये राज्यों के लिये ऋण प्राप्त करने को बाज़ार खाली रहे। आगणन की यह स्वल्प गिरावट, अमरीकन

गेहूं के ऋण की बड़ी हुई आय से, तथा कोलम्बो योजना, तथा प्राविधिक सहयोगी प्रशासन सहायता के अन्तर्गत पूरी ही नहीं हो जायगी वरन् और भी अधिक लाभ होगा लघु संचित धन की आय, औसत रूप से मौलिक आगणन के अनुसार ही होगी। खुले बाज़ार में राजकोष विपत्रों की बिक्री पुनः आरम्भ कर देने से, जिससे, आशा की जाती है कि इस वर्ष ५ करोड़ रुपये की शुद्ध धनराशि प्राप्त होगी, साधनों की स्थिति भी सुगम हो गई थी।

आगामी वर्ष के लिये आय व्यय लेखा में १४० करोड़ रुपये के समग्र घाटे का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष यदि सरकार चाहे तो १९५३–५५ के ३ प्रतिशत वाले ऋण के जिस के साथ ११५ करोड़ रुपये का अदत्त अवशेष है, पुनःभुगतान कर सकती है। इस विकल्प को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है तथा मैं ने अनुमान किया है कि, इस पुनःभुगतान को ध्यान में रखते हुए १०० करोड़ रुपये के लोक ऋण का संग्रह करना संभव होगा। ४५ करोड़ रुपये की लघु बचत से होने वाली प्राप्ति का हिसाब न्यूनाधिक वर्तमान समय की दर से लगाया गया है यद्यपि बचत आन्दोलन को तीव्र करने तथा बहत्तरलक्ष्य प्राप्त करने के उपाय किये जा रहे हैं। ऐसी किसी बड़ती का लाभ राज्यों को मिलेगा केन्द्र को नहीं। वित्तीय मंत्रियों के हाल में होने वाले सम्मेलन में यह तय पाया गया था कि राज्यों को सहायता देने के लिये लघु बचत से प्राप्त होने वाली ४५ करोड़ रुपये से अधिक जितनी भी वास्तविक प्राप्ति हो वह राज्यों को हस्तान्तरित कर दी जाय।

१४० करोड़ रुपये की समग्र अर्थहीनता, जिसका अभी मैं ने उल्लेख किया था, चालू वर्ष की अन्तिम बचत को लगभग समाप्त कर देगी। जितने परिमाण में कारोबारों से हमारा सम्बन्ध है उन पर विचार करते हुए कम से कम ५० करोड़ रुपये की नक़दी बचत का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये अतिरिक्त ऋण संग्रह के द्वारा इस १४० करोड़ रुपये की अर्थ हीनता को घटा कर ३० करोड़ रुपया करना आवश्यक है। जिस रीति तथा नियम से यह अतिरिक्त ऋण संग्रह करना चाहिये उस का निर्णय वर्ष की गति के साथ तथा जैसी जैसी परिस्थितियां बदलती जायेंगी उन्हीं के अनुसार किया जा सकता है। आय व्यय पत्र के लिये मैं ने राज-कोषपत्र के अन्तर्गत ११० करोड़ रुपये का हिसाब लगाया है जिस से वर्ष समाप्त होने पर पर्याप्त बचत रह जावे।

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या आगामी वर्ष के लिये आय व्यय लेखा में दिये गये पैमाने पर अर्थहीनता वित्त पोषण करना बुद्धिमानी है। मैं ने इस विषय पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा मुझे सन्तोष है कि, सारी संभावनाओं का विचार करते हुए हम कोई अनुपयुक्त जोखम नहीं उठा रहे हैं। देश की विकास योजना ने तै किया है कि पांच वर्ष में ३०० करोड़ रुपये तक का आयोजन अर्थ-हीनता वित्तपोषण द्वारा किया जावे, औसत रूप से लगभग ६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष। योजना के पहले दो वर्षों में, मिला कर समग्र अर्थहीनता ८२ करोड़ रुपये के लगभग होगी। यदि योजना के अनुसार विकास के प्रोग्राम को, संसाधन संग्रह करने की मोटे रूप से दी गई सीमाओं के अन्दर, कार्यान्वित करना है तो योजना के शेष तीन वर्षों में व्यय की गति को बढ़ाना आवश्यक है। देश की आर्थिक परि-स्थिति की वर्तमान प्रवृत्तियां भी व्यक्त करती हैं कि मुद्रास्फीती-भार, जो कि बड़ी कठि-नाइयां उत्पन्न कर रहा था, अब नियंत्रण में आ गया है तथा यही विकास सम्बन्धी व्यय के परिमाप बढ़ाने का उचित अवसर जान पड़ता है। देश की आर्थिक स्थिति पर

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस का जो प्रभाव होगा उसे बराबर देखा जायगा तथा मुझे सदन को यह आश्वासन दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी अनुचित प्रभाव को रोकने के समुचित प्रयत्न किये जायेंगे।

पूर्व इस के कि मैं आयव्ययक प्रस्थापनाओं पर बोलूं मैं लघु बचत आन्दोलन की उन्नति की ओर निर्देश करना पसन्द करूंगा। जैसा कि मैं ने अनेक बार जोर दे कर कहा है, हमें विकास के लिये अपेक्षित वित्त का प्रावधान करने के लिये अधिक से अधिक थोड़ी बचत करने वाले की ओर ध्यान ले जाना पड़ेगा। लघु बचत की उत्पत्ति में वित्तीय हित उत्पन्न करके, हम ने राज्यों को, इस आन्दोलन के प्रसार करने में, और अधिक चाव से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया है। हम अधिकृत एजेन्टों की प्रणाली के सब राज्यों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं जिस का प्रयोग तीन राज्यों में किया जा रहा है तथा इस विषय पर सम्बन्धित राज्यों से वार्ता हो रही है। इस आन्दोलन के सफल बनाने के लिये, ऐच्छिक सामाजिक तथा नारी संगठनों में चाव उत्पन्न करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। मुझे आशा है कि यह उपाय तथा देश की विकास योजनाओं में जनता का बढ़ता हुआ चाव का परिणाम बहुत अच्छा होगा।

अब मैं आगामी वर्ष की आयव्ययक प्रस्थापनाओं पर बोलूंगा।

आयव्ययक प्रस्थापनों पर बोलने के पूर्व मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। कुछ वर्षों से, विधानमण्डल के अन्दर व बाहर यह मांग बराबर रक्खी जा रही है कि १९४६ से किये जाने वाले कर-निर्धारण का एक सुव्यवस्थिति परीक्षण किया जाय। उस समय की भारत सरकार ने निर्णय किया कि ऐसी जांच अवश्य होनी चाहिये। परन्तु यह निर्णय, आनेवाले वैधानिक परिवर्तनों के कारण, कार्यान्वित नहीं किया जा सका तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् और अधिक आवश्यक व्यस्तताओं के कारण यह कार्य फिर भी रुका रहा। परन्तु जैसा कि अनेक बार इस सदन में कहा जा चुका है इस विचार का परित्याग नहीं किया गया है। सरकार ने अब कर निर्धारण में सर्वग्राही जांच करने के लिये विशिष्ट ज्ञान रखने वाला एक छोटा सा सुगठित आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है तथा मुझे यह घोषित करते हुए हर्ष होता है कि डा० जान मथाई ने इस आयोग के सभापति होने का हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आयोग के अन्य सदस्य श्री वी० एल० मेहता, जो कुछ समय पूर्व वित्त आयोग के सदस्य थे, दिल्ली स्कूल आफ़ एक्नामिक्स के श्री वी० के० आर० वी० राव, वित्त मंत्रालय के सचिव श्री के० आर० के० मेनन, बम्बई सरकार के भूतपूर्व वित्त सचिव श्री बी० वेनकटप्पिया तथा अन्त में रिज़र्व बैंक के आर्थिक परामर्शदाता डा० बी० के० मदन होंगे। वित्त मंत्रालय का एक प्रधान अधिकारी इस आयोग का सचिव होगा। इस आयोग के निर्देश के निबन्धन अत्यन्त सर्वग्राही होंगे तथा उन के परिधि में हर प्रकार का कर निर्धारण—केन्द्रीय, राज्यों के, तथा स्थानीय प्रत्येक रूप में सम्मिलित होंगे। सरकार का विचार है कि आयोग के साथ कर निर्धारण तथा जन-वित्त के दो विदेशी विशेषज्ञ भी रक्खे जायें जिस से आयोग को ऐसे विशेष परामर्श उपलब्ध हो सकें जिन के सम्बन्ध में उन को विदेशी अनुभव की आवश्यकता पड़े। आयोग को विशेष समस्याओं पर विचार करते समय अल्पकाल के लिये अतिरिक्त सदस्यों को चुन लेने की भी स्वतन्त्रता रहेगी। मैं आशा करता हूं कि

आयोग आगामी अप्रैल से कार्य करने लगेगा तथा लगभग दो वर्ष में अपना कार्य समाप्त कर देगा। मुझे विश्वास है कि आयोग के परिश्रम से पुष्ट तथा सुदृढ़ आधार पर एक ऐसी कर निर्धारण नीति की नींव डालने में सहायता मिलेगी जो देश की आर्थिक स्थिति के लिये सब से अधिक उपयुक्त हो।

आगामी वर्ष के राजस्व अर्थहीनता की अपेक्षतः अल्प धनराशि ने, जहां तक अतिरिक्त राजस्व संग्रह करने का सम्बन्ध है, मेरे कार्य को साधारण से कुछ आसान बना दिया है तथा मेरा इरादा, अतिरिक्त कर निर्धारण के रास्ते खोजने के स्थान पर, अधिकतर कर निर्धारण में उलट फेर करने के काम में अपने को लगाने का है।

मैं पहले कर निर्धारण की सुविधाओं पर विचार करूंगा। मेरी पहली प्रस्थापना जूट के बोरों के निर्यात शुल्क को कम करने के सम्बन्ध में है। जब कि टाट के दाम हाल में ऊपर चढ़ रहे हैं बोरों की स्थिति सरकार के लिये चिन्ता का विषय बन गई है। बोरों का निर्यात शुल्क के सम्बन्ध में मैं प्रस्थापना करता हूं कि उसको कम करके १७५ रुपया प्रति टन के बजाय ८० रुपया प्रति टन कर दिया जाय। सामुद्रिक सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना द्वारा यह तत्काल लागू किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह कटौती इस व्यवसाय को, संसार व्यापी बाजारों में अपनी स्थिति कायम रखने में, सहायता करेगी। राजस्व में होने वाली अर्थहीनता का आगणन ३·५ करोड़ रुपया होगा।

मेरी दूसरी प्रस्थापना वैयक्तिक आयकर की विमुक्ति सीमा को ऊंचा करना। व्यक्तियों के लिये ३,६०० रुपये की तथा हिन्दू अविभक्त परिवार ७,२०० रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ा कर व्यक्तियों के लिये ४,२०० रुपया तथा हिन्दू अविभक्त परिवारों के लिये ८,४०० रुपया कर दिया जायगा। यह परिवर्तन न केवल कर निर्धारण में सुविधा देने के लिये है वरन् आय कर प्रकाशन को भी सुविधा देने के लिये है। मैं कुछ समय से अनुभव कर रहा हूं कि आय कर विभाग का बहुत सा समय अपेक्षतः छोटे छोटे कर निर्धारणों में व्यय हो रहा है तथा यदि ऐसे कर निर्धारणों की संख्या घटा दी जाय तो यह विभाग बड़े बड़े करदाताओं के मामलों को ज्यादा समय दे सकेगा तथा आयकर के राजस्व को बढ़ा सकेगा। इस परिवर्तन का प्रभाव यह होगा कि लगभग ८ लाख की कुल संख्या में से लगभग ७०,००० से कुछ अधिक कर निर्धारण के मामले कम हो जायेंगे। राजस्व की हीनता का आगणन ८२ लाख रुपया किया जाता है जिस से केन्द्र का भाग ४० लाख रुपया होगा। मैं अनुभव करता हूं कि राज्यकोष का यह घाटा आयकर संग्रह की वृद्धि से इतना अधिक होगा कि यह घाटा भी पूरा हो जायगा तथा और भी कुछ लाभ होगा।

उपर्युक्त दो परिवर्तनों से १.०५ करोड़ रुपये अर्थहीनता बढ़ कर ४.९५ करोड़ रुपया हो जायगी। तथा मैं, इस कमी को आयात शुल्क के तथा तार डाक के महसूलों के उलट फेर से पूरा करना चाहता हूं।

आयात शुल्क के परिवर्तन जिन की परिधि में अनेक वस्तुएं हैं अधिकतर अर्थ-विलास सामग्रियों से सम्बन्ध रखते हैं। श्रृंगार की सामग्रियों, कुछ क़िस्म के सूती कपड़ों, चीन, कांच तथा मिट्टी के टाईल्स पर लगाया जाने वाला शुल्क बढ़ा दिया जायगा तथा आयात करने के लिये निश्चित भाग नियुक्त कर दिया जायगा। इस से कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा तथा शुल्क सहित मूल्य इतने अधिक होंगे कि

[श्री सी० डी० देशमुख]

इन वस्तुओं का उपभोग अनुचित रूप से बढ़ने नहीं पायगा। कुछ अन्य वस्तुओं के शुल्क जैसे बंधी हुई हालत में आयात की जाने वाली मोटरें बढ़ाये जा रहे हैं। अधिक मूल्य के घोड़ों, कीमती पत्थरों, तथा मोतियों पर शुल्क लगाया जा रहा है। इन शुल्कों से कुछ राजस्व प्राप्त होगा तथा विदेशी विनिमय के व्यय में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि भी नहीं होगी।

आयात की जाने वाली सुपारी का शुल्क के भी लगभग दो आना प्रति पाउंड की दर से बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। यह देश के सुपारी उगाने वालों को अपनी फसल के लिये अधिक लाभदायक बाजार प्राप्त करने में सहायता पहुंचायेगा।

आयात प्रशुल्क में जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उन के सम्बन्ध में मेरा एक प्रस्ताव यह भी है कि पेन्सिलीन, एन्टीबायोटिक्स तथा सल्फा भेषज, शिशुओं तथा अशक्त व्यक्तियों के लिये दुग्ध खाद्य कुछ प्रकार के पेटेन्ट खाद्य, विज्ञानोपयोगी औज़ार तथा अन्य वस्तुएं, छपाई खुदाई के काम, चित्र तथा कला की कृतियों पर लगाये जाने वाले शुल्क घटा दिये जायं। इन परिवर्तनों का, जिन का मुझे विश्वास है कि सदन स्वागत करेगा, राजस्व पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

आयात शुल्क के उपर्युक्त परिवर्तनों का वास्तविक परिणाम ३.५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व होगा, जिस से बोरों के शुल्क के कम करने से होने वाला निर्यात शुल्क का घाटा पूरा हो जायगा।

कपड़े के उत्पादन शुल्क में भी कुछ उलट फेर किया जा रहा है। मई १९५२ के पूर्व उत्तम तथा सर्वोत्तम वस्त्रों के शुल्क के दर क्रमशः ५ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत मूल्य के अनुसार थे। इस प्रकार के वस्त्रों के मूल्यों में गत वर्ष होने वाली भारी कमी ने वस्त्र आयुक्त के अन्तपूछद मूल्यों के हिसाब से शुल्क निर्धारण को कष्टसाध्य बना दिया तथा प्रति गज के हिसाब से कुछ निश्चित शुल्कों के अधिकतम शुल्क बना देने का निर्णय किया गया तथा यह निर्णय किया गया था कि शुल्क निर्धारण करने के लिये इन दरों का अथवा मूल्य अनुसार पदों का जो भी कम हों उपयोग किया जाय। निश्चित शुल्कों की दरें ऐसे स्तर पर निश्चित की गई थीं, जिन के सम्बन्ध में उस समय विश्वास किया जाता था कि, अधिकतर अवसरों पर, उन के सामने मूल्यानुसार दरों को काम में लाने की आवश्यकता न पड़ेगी। बाद में होने वाली मन्दी ने इस आशा को झूठा कर दिया तथा अधिकर निर्धारण मूल्यानुसार दरों से ही किया गया; जिस के कारण प्रशासनीय कठिनाइयां उत्पन्न हुईं तथा घोषित मूल्यों के सम्बन्ध में मिलों तथा करनिर्धारक कर्मचारियों के बीच बराबर खटपट होती रही। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये, मूल्य अनुसार निर्धारणों को एक दम खतम कर देने का तथा स्थिर रूप से निश्चित शुल्क नियत करने का निर्णय किया गया। सुन्दरतम वस्त्रों पर प्रति गज तीन आने तीन पाई की दर से तथा सुन्दर वस्त्रों पर एक आना तीन पाई के दर से शुल्क लिया जायगा तथा उस के लिये आवश्यक प्रावधान वित्त विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका अर्थ राजस्व में कोई वृद्धि तथा न्यूनता नहीं होगा वरन् शुल्क निर्धारण तथा संग्रह का कार्य सुगम हो जायगा।

पिछले वर्षों में तार तथा डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में डाक की सुविधाएं बढ़ाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता रहा है तथा गत ५ वर्षों में २००० से

ऊपर की जन संख्या के ग्रामों में १६,००० से अधिक डाकखाने खोले गये हैं। कुछ समय के लिये इन डाकखानों के परितोषणीय होने की आशा नहीं की जाती है। यह बात तथा इसी के साथ वेतन आयोग की सिफ़ारिशों तथा नौकरी की विशेष कर निम्न कोटि की नौकरियों की परिस्थितियों को सुधारने के लिये किये गये और उपायों का परिणाम यह हुआ है कि १९४८-४९ से डाक की सेवाओं के संचालन में घाटा हो रहा है। मार्च १९५२ में समाप्त होने वाले चार वर्षों में डाक विभाग का वास्तविक घाटा ३·६१ करोड़ रुपया हुआ है। चालू वर्ष में होने वाले घाटे का आगणन २·२३ करोड़ रुपया किया जाता है जब कि आगामी वर्ष में यह २·६८ करोड़ रुपये से कुछ अधिक होगा। अतः डाक की वर्तमान दरों का पुनर्विलोकन प्रत्येक शीर्षक की सेवा की लागत तथा अन्य देशों में वसूल किये जाने वाले शुल्कों को दृष्टि में रख कर किया गया है। इस पुनर्विलोकन के परिणाम स्वरूप, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्रेशन तथा इन्श्योरेंस की फीस के मापमान बढ़ाने का निश्चय किया गया है। पारसल के प्रत्येक ४० तोला के लिये छः आने की वर्तमान दर को बढ़ा कर आठ आना कर दिया जायगा। बुक पैटर्न तथा सैम्पुल पैकटों का डाक व्यय प्रत्येक पांच तोला के लिये नौ पाई तथा अतिरिक्त $2\frac{1}{2}$ तोला के लिये तीन पाई बढ़ा कर क्रमशः एक आना तथा छै पाई कर दिया जायगा। रजिस्ट्रेशन फीस प्रति वस्तु साढ़े चार आने से बढ़ा कर प्रति वस्तु छै आना कर दी जायगी जब कि इन्श्योरेंस की फीस प्रथम १००) रुपये के लिये चार आने से बढ़ा कर छै आने तथा प्रत्येक अतिरिक्त १००) रु० के लिये दो आने से बढ़ा कर तीन आने कर दी जायगी। आगणन किया जाता है दरों की इस वृद्धि के कारण १·९० करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अब मैं उपर्युक्त अनेक परिवर्तनों के प्रभाव संरक्षित रूप से बताऊंगा। बोरों के आयात कर में कटौती तथा वैयक्तिक आयकर की मुक्ति सीमा को ऊंचा करने से ३·९० करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा होगा जिस के कारण अर्थ हीनता १·०५ करोड़ रुपये से बढ़ कर ४·९५ करोड़ रुपये हो जायगी। आयात के परिवर्तनों से ३·५० करोड़ रुपये का लाभ होगा तथा डाक की दरों को बढ़ाने से १·९० करोड़ रुपये का लाभ होगा। इस प्रकार राजस्व लेखा में ४५ लाख रुपये का नाम मात्र आधिक्य होगा।

समाप्त करने के पूर्व मैं आय कर के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तनों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा जो आगामी वर्ष के वित्त विधेयक में सम्मिलित किये जा रहे हैं। सदन को याद होगा कि १९४८-४९ के आय व्यय लेखा में दान के कार्यों में वैयक्तिक सहायता को प्रोत्साहन देने के लिये उन भुगतानों को मुक्ति कर देने का प्रावधान किया गया था जो अधिकतया $2\frac{1}{2}$ लाख रुपये के हों या आय का १० प्रतिशत हों, जो भी राशि कम हो। व्यवहार से ज्ञात हुआ है कि यह प्रबन्ध पर्याप्त रूप से लचीला नहीं है विशेष कर सहायता की जाने वाले दान के कार्यों के दृष्टिकोण से। हम ने अब निर्णय किया है कि दान के कार्यों अथवा दान की संस्थाओं पर से केन्द्रीय सरकार की मान्यता प्राप्त करने की पाबन्दी हटा दी जाय। यह सुविधा ऐसी प्रत्येक दशा में दी जाय जिस में कि कोई निधि, या दान की संख्या पंजीभूत हो, या किसी ट्रस्ट के आधीन हो या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा संचालित हो। मैं विश्वास करता हूं कि इस परिवर्तन से योग्य संस्थाओं को पहुंचने वाली सहायता की धारा और भी अधिक उन्मुक्त हो जायगी। इसी के साथ साथ हमारी प्रस्थापना है कि इस की सीमा $2\frac{1}{2}$

[श्री सी० डी० देशमुख]

लाख रुपये से घटा कर एक लाख रुपये तथा आय के १० प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत कर दी जाय। आय कर अधिनियम की धारा १५ बी में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।

उन कम्पनियों द्वारा कुछ कठिनाई अनुभव की गई है जो दूसरी कम्पनी में अपनी आधिक्य निधि विनियोजन करती हैं क्योंकि विनियोजक कम्पनियों को विनियोग के लाभांश पर निगम-कर देना पड़ता है। ऐसे विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसे लाभांशों को निगम कर से मुक्त करने की प्रस्थापना है। यह रियायत कुछ चुने हुए उद्योगों में लगे हुए नये व्यवसायों को दी जायगी।

वर्तमान समय में पूर्णरूपेण भारतीय सहाय के द्वारा कार्य करने वाली विदेशी कम्पनी को बहुधा एक ऐसी विदेशी कम्पनी की तुलना में जो भारत में अपनी शाखाओं द्वारा कार्य करती है थोड़ा अधिक कर देना पड़ता है। इस से भारतीय सहायकों को हानि होती है। इस का प्रभाव भारतीय सहायकों के लिये हानिकारक होता है तथा इस का प्रावधान किया जा रहा है जिस से यह भेदभाव पुनः पुनः कम कर दिया जाय।

आयकर में कुछ और परिवर्तन किये जाने वाले हैं। मैं सदन का ध्यान केवल दो किंचित महत्वपूर्ण परिवर्तनों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहला सट्टे की हानियों को विक्रय करने की प्रथा को रोकने का प्रावधान है। आयकर जांच आयोग ने सिफ़ारिश की थी विधि का संशोधन किया जाय जिस से सट्टे की हानियां केवल उसी मात्रा में घटायी जायं जिस मात्रा में सट्टे से लाभ हुए हैं। यह संशोधन आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५१ में सम्मिलित था जो कि समाप्त हो चुका है। अब यह संशोधन करने की प्रस्थापना की जाती है। दूसरा समझौता, यदि आवश्यक हो, तो दुहरे कर निर्धारण को बचाने के लिये या उस से मुक्त करने के लिये, सरकार को, विदेशी सरकारों से समझौतों की वार्ता का अधिकार दिये जाने का है। यह विधि की एक कमी को पूरा करता है क्योंकि अभी सरकार को केवल कुछ देशों से ही ऐसे प्रबन्धों की वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है।

आगामी वर्ष का आय व्यय लेखा पंच-वर्षीय योजना की पृष्ठ-भूमि में तय्यार किया गया है तथा मुझे विश्वास है कि सदन को यह जानने की इच्छा होगी कि आयव्ययक वर्ष के अन्त तक विकास के उस स्तर को प्राप्त करने में किस सीमा तक सफलता मिल जायगी, जिस का योजना में आगणन किया गया है। योजना में जिस व्यय की प्रस्थापना है उस की परिधि में न केवल केन्द्रीय आय व्यय लेखा है वरन् राज्यों का आय व्यय लेखा भी है तथा यद्यपि हम योजना के द्वितीय वर्ष में हैं, फिर भी उस उन्नति का आगणन करना कठिन है जो हम कर चुके हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मोटे आगणन के अनुसार, योजना के पहले दो वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों का सम्मिलित व्यय, आशा की जाती है, कि लगभग ६०० करोड़ रुपया होगा। यह केन्द्र तथा राज्यों में मोटे रूप से बराबर बराबर विभाजित कर दिया जायगा। आगामी वर्ष में केन्द्रीय आय व्यय लेखे में विकास सम्बन्धी व्यय का प्रावधान लगभग २२५ करोड़ है, जिस में राज्यों की योजनाओं के किये जाने वाले वित्तपोषण के लिये दी जाने वाली सहायता सम्मिलित नहीं है। यदि विकास सम्बन्धी व्यय का स्तर, जो कि राज्यों ने १९५२-५३ में प्राप्त किया था, आगामी वर्ष में कायम रक्खा जाय तो केन्द्र तथा राज्यों को मिला कर

मार्च १९५४ में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में लगभग १००० करोड़ रुपया हो जायगा। क्योंकि योजना द्वारा आयोजित समग्र व्यय २०६९ करोड़ रुपया है, योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिये लगभग १००० रुपये का शेष रह जायगा। जब इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि योजना के पहले वर्षों में व्यय के स्तर का कुछ कम होना अनिवार्य है क्यों कि एक एक योजना पर व्यय गति पकड़ने में कुछ समय लेता है मैं कह सकता हूं कि यह आसानी से कहा जा सकता है कि योजना को कार्यान्वित करने की उन्नति पहले दो वर्षों में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य से दूर नहीं है। मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में राज्य सरकारों के परामर्श से योजना के पहले दो वर्षों में की जाने वाली उन्नति का सम्पूर्ण परिमाप करना संभव होगा जिस से जनता को मालूम हो सके कि किस निश्चित सीमा तक योजना कार्यान्वित की जा चुकी है। मैं जानता हूं कि ऐसी जानकारी की बड़ी तीव्र मांग है परन्तु यह बात याद रखने की है कि चालू वर्ष का अन्तिम उत्पादन कितना है यह सूचना उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा और यह कि इस स्थिति में इस वर्ष के पुनरीक्षित आगणन के आधार पर कोई अनुमान लगाना भ्रममूलक होगा।

आयोजित आर्थिक कार्यक्रम की पूर्ति न केवल नीति बनाने पर तथा वित्त उपलब्ध करने पर वरन् कुशल प्रशासन तथा जनसहयोग पर निर्भर करता है। पंच वर्षीय योजना जिस का स्वभावतः अनेक बहुत सी योजनाओं में से प्रथम होना अनिवार्य है, विकास के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के सम्बन्ध में आगामी तीन वर्षों के लिये नीति निर्धारित करती है। केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के सामने इस नीति तथा कार्यक्रम को सब से अधिक जन सहयोग के सहित पूरा करना सब से बड़ा कार्य है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, मेरा विश्वास है कि मैं उचित रूप से कह सकता हूं कि हम ने योजना को कार्यान्वित करने में अपना भाग पूरा कर दिया है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें भी इसी उद्देश्य से प्रेरित हैं यद्यपि मुझे भय है कि उन में से कुछ ने उन संसाधनों को संग्रह करने में, जिन की उन से पूर्ण परामर्श करने के बाद आशा की जाती थी, अपनी उत्सुकता को देखते हुए अपेक्षित दृढ़ता नहीं दिखाई है। परन्तु यह भी सत्य है कि उन में से कुछ को दुर्लभता के कारण विशेष रूप से अतिरिक्त व्यय का भार सहन करना पड़ा। मैं आशा करता हूं कि योजना के शेष वर्षों में राज्य सरकारों के लिये, अपने संसाधन संग्रह करने में, अपना सारा ध्यान तथा शक्ति केन्द्रित करना संभव होगा ताकि योजना द्वारा आयोजित विकास की पूर्ति में देर न लगे। एक शासनकारी राज्य को जनकल्याण राज्य में बदलना कभी आसान नहीं होता है। इस के लिये समाज में, सामूहिक लाभ के लिये संयम का ध्यान, सहयोगी मनोवृत्ति तथा त्याग की भावना की उतनी ही आवश्यकता होती है, जितनी उत्प्रेरित सजग, तथा बुद्धिमान नेतृत्व की होती है। एसे नेतृत्व को उत्पन्न करना राज्यनीति बुद्धि तथा नीतिज्ञता की सब से बड़ी परीक्षा होगी। देश की सरकार का काम होगा कि योजना आयोग की सहायता से आशा किये जाने वाले जन सहयोग की दिशा तथा रूप के सम्बन्ध में निश्चित तथा ठीक ठीक नेतृत्व उपलब्ध करें तथा एक बार जब ऐसा नेतृत्व उपलब्ध हो जायगा तो देश की जनता का काम होगा कि बिना किसी संकोच के अपना पूर्ण सहयोग दें ताकि योजना से हमारी मातृभूमि सम्पन्न हो तथा अधिक से अधिक वैभव प्राप्त करे।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जब लाबी के बाहर जायं तो आयव्ययक पत्र लेते जायं।

वित्त विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं १९५३–५४ के वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"१९५३–५४ के वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक २ मार्च १९५३ सोमवार के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

* राष्ट्रपति की आज्ञा से पुर:स्थापित ।

GIPD—HS—215—PSD—24-12-53—000